



# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

## दियारा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार

सुल्तानपुर







# कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



दियारा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



## प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

## तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन  
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

## मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव  
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

### जिला प्रशासन

श्रीमती कृत्तिका ज्योत्सना, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), सुल्तानपुर  
श्री अंकुर कौशिक, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), सुल्तानपुर

### वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ  
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक  
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

## लेखक

### वसुधा फाउंडेशन

सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

## शोध समर्थन

### वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

### दियारा ग्राम पंचायत

श्री रवीन्द्र कुमार, ग्राम प्रधान

## क्षेत्रीय शोध समर्थन

### ग्राम उन्मेश संस्थान, जौनपुर

श्री नसीम अंसारी, श्री संतोष चतुर्वेदी, सुश्री सोनिया गुप्ता

## डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन





श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना  
(आई.ए.एस.)



जिलाधिकारी  
जनपद सुलतानपुर,  
उत्तर प्रदेश  
दिनांक :- 23/09/2024

--:संदेश:--

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- दियरा, विकास खण्ड-मोतिगरपुर, जनपद सुलतानपुर की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान अनुभव हो रहा है, जैसा कि हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी परिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थ व्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए एक ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।


ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता है जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता है जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय

  
(कृत्तिका ज्योत्स्ना)





श्री अंकुर कौशिक  
(आई.ए.एस.)



मुख्य विकास अधिकारी  
जनपद सुलतानपुर,  
उत्तर प्रदेश  
दिनांक:- 20/09/2024.

:: संदेश ::

मै क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत- दियरा, विकास खण्ड-मोतिगरपुर, जनपद सुलतानपुर की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसे मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभारी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय

(अंकुर कौशिक)



रविन्द्र कुमार (प्रधान)  
ग्राम पंचायत— दियरा

विकास खण्ड—मोतिगरपुर, मो0 8736085895

तहसील— जयसिंहपुर,

जिला—सुलतानपुर(उ0प्र0)

पत्रांक—२७५

दिनांक ०६/०९/२०२४


सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत दियरा विख0 मोतिगरपुर, जिला सुलतानपुर की तरफ से सादर नमस्कार और अभिनन्दन । मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाने गये कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है। और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उनपर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केंद्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और ऑकड़ों को एकत्रित किया गया। ऑकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए मैं स्थानीय सहयोगी संस्था ग्राम्या संस्थान वाराणसी व गोरखपुर इन्वायमेंट एक्शन ग्रुप ( जी0ई0ए0जी0) गोरखपुर का ऑकड़े ग्राम पंचायत ग्रामीण में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेगे। जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ0प्र0 और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउण्डेशन नई दिल्ली का आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये ऑकड़ों को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्राम वासियों से अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरे के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद





# विषय-वस्तु

1	<b>कार्यकारी सारांश</b>	1
2	<b>ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल</b>	5
	▪ दियारा ग्राम पंचायत एक नजर में	5
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	6
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	7
	▪ कार्यरत महिलाएं	8
	▪ कृषि	8
	▪ प्राकृतिक संसाधन	9
	▪ दियारा में सुविधाएं	10
3	<b>कार्बन फुटप्रिंट</b>	11
4	<b>व्यापक मुद्दे</b>	12
5	<b>प्रस्तावित मुद्दाव</b>	13
	1. सतत कृषि	14
	2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	20
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	26
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	30
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	35
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	45
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	49
6	<b>विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची</b>	53
7	<b>अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव</b>	59
8	<b>आगे की राह</b>	65
9	<b>अनुलग्नक</b>	66

## चित्र

चित्र 1	: दियारा ग्राम पंचायत, जिला सुल्तानपुर का भूमि-उपयोग मानचित्र	6
चित्र 2	: दियारा का औसत वार्षिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1991-2019	7
चित्र 3	: दियारा में वार्षिक वर्षा (मिलीमीटर), 1991-2019	7
चित्र 4	: दियारा में परिवारों की आय के स्रोत	7
चित्र 5	: दियारा में घरेलू स्तर पर आय वितरण	8
चित्र 6	: दियारा में आर्थिक गतिविधियों में शामिल महिलाओं की संख्या	8
चित्र 7	: दियारा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	8
चित्र 8	: दियारा में सकल फ़सल क्षेत्र का फ़सलवार विभाजन	9
चित्र 9	: 2022 में दियारा में विभिन्न गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट	11
चित्र 10	: 2022 में दियारा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	11



## कार्यकारी सारांश

**सु**ल्तानपुर जिले की दियारा ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। दियारा की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट रोडमैप/दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूली क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के मसौदे को अपनाकर यह कार्य योजना तैयार की गई है। दियारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे दियारा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

यह कार्ययोजना प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, पूर्वी मैदान कृषि-जलवायु क्षेत्र की समस्याओं, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए दियारा ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधारभूत रूपरेखा बनाने और दियारा के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

### दृष्टिकोण

#### प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरण का विकास

**सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करना:** पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा, गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़े एकत्र किए गए।

#### आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और दियारामें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- अनुमानित कार्बन फुटप्रिंट: दियारा में प्रमुख गतिविधियों\* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- प्रस्तावित संस्तुतियाँ: पहचाने गए पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर दियारा के लिए संस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन संस्तुतियों में पूर्वी मैदान की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, दियारा की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

\* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना बनाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और जोखिम भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (HRVCA)के पहलू शामिल हैं

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव, 9 बस्तियां और 1,074 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 6,325<sup>2</sup> है। प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में कृषि और व्यवसाय (स्थानीय दुकानें) सम्मिलित हैं। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि दियारा ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~4,341 tCO<sub>2</sub>e<sup>3</sup> है।

ग्राम पंचायत दियारा में तत्काल कार्रवाई हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- विविध फ़सल पद्धतियों, जलवायु अनुकूल प्रथाओं/क्रियाओं, जैविक उर्वरकों और कृषि-वानिकी प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सतत कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- हरित आवरण में सुधार और सामुदायिक सहभागी प्रबंधन सहित वर्तमान जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने जैसे उपायों को लागू करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा और सौर-संचालित पंप, ऊर्जा कुशल पंप और सोलर रूफटॉप स्थापना जैसे ऊर्जा कुशल समाधानों का उपयोग करना।
- हरित नौकरियों के लिए आजीविका के अतिरिक्त विकल्प और नए अवसर उत्पन्न करना।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता और बढ़ी हुई आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

दियारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे दियारा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना निम्नलिखित द्वारा दियारा जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी:

- जलवायु परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को दियारा की ग्राम पंचायत विकास योजना की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार पर) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

2 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार : कुल जनसंख्या- 5,271

3 इसमें ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन का दायरा (स्कोप) 2 शामिल है (UPPCL से प्राप्त आंकड़े और CEA से ग्रिड उत्सर्जन के कारक)



इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कम किए गए कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष 2,600 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 79,000 tCO<sub>2</sub> तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹39 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग सम्मिलित है। इसमें से आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹14 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनो/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित रूप से सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।




# वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



















## क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



## दियारा

## दियारा ग्राम पंचायत एक नजर में

	<b>स्थान</b>	ब्लॉक - मोतिगरपुर, जनपद - सुल्तानपुर		<b>प्राथमिक आर्थिक गतिविधि</b> कृषि
	<b>कुल क्षेत्रफल<sup>4</sup></b>	530.14 हेक्टेयर		<b>जल संसाधन:</b> 7 तालाब 33 कुएं गोमती नदी
	<b>संयोजन</b>	1 राजस्व गांव और 9 बस्तियां		<b>कृषि-जलवायु क्षेत्र<sup>9</sup></b>
	<b>कुल जनसंख्या<sup>5</sup></b>	6,325		<ul style="list-style-type: none"> <li>पूर्वी मैदानी क्षेत्र</li> <li>जलवायु परिस्थितियाँ: गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों के साथ अर्ध-शुष्क से उप-आर्द्र जलवायु</li> <li>न्यूनतम तापमान: 5.7 °C</li> <li>अधिकतम तापमान: 41.4 °C</li> <li>औसत वार्षिक वर्षा: 803 मिलीमीटर</li> <li>मिट्टी: जलोढ़ मिट्टी जो मक्का, दालों जैसी फसलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त है</li> </ul>
	<b>पुरुषों की संख्या</b>	3,197		<b>जिले की समग्र भेद्यता<sup>10</sup></b> अधिक
	<b>महिलाओं की संख्या</b>	3,128		<b>जिले के क्षेत्रीय भेद्यता</b>
	<b>कुल परिवार<sup>6</sup></b>	1,024 <sup>7</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा भेद्यता: अधिक</li> <li>ग्राम्य विकास भेद्यता: अधिक</li> <li>वन भेद्यता: मध्यम</li> <li>कृषि भेद्यता: मध्यम</li> <li>स्वास्थ्य भेद्यता: मध्यम</li> <li>आपदा प्रबंधन भेद्यता: कम</li> </ul>
	<b>पंचायत अवसंरचना</b>	11-(पंचायत भवन, 3 प्राथमिक विद्यालय, अपर प्राथमिक विद्यालय, कम्पोजिट विद्यालय, 2 कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु अस्पताल)		
	<b>भूमि उपयोग<sup>8</sup></b>	कृषि भूमि - 328.24 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि - 11 हेक्टेयर जल निकाय (तालाब) - 9.25 हेक्टेयर		

+ योजना के विकास के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्राप्त (फरवरी, 2023)

4 भुवन से प्राप्त डेटा के आधार पर ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 638 हेक्टेयर है।

5 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 5,271; पुरुष- 2,264; महिला- 2,607


6 716 पक्के घर और 307 (मिट्टी, भूसा, टिन) कच्चे घर

7 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

8 प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आदानों पर आधारित

9 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

10 उत्तर प्रदेश SAPCC 2.0



## दियारा ग्राम पंचायत

मोतिगरपुर ब्लॉक  
सुल्तानपुर जिला  
उत्तर प्रदेश राज्य

स्रोत: स्पेस बेसड इनफार्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग  
<https://bhuvan-panchayat3.rsc.gov.in/>



चित्र 1: दियारा ग्राम पंचायत, जिला सुल्तानपुर का भूमि-उपयोग मानचित्र

## जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों - तापमान और वर्षा - से ज्ञात होता है कि 1991, की तुलना में 2019 में वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान 2.24 डिग्री सेल्सियस अधिक था जबकि औसत वार्षिक अधिकतम तापमान में कोई विशेष प्रवृत्ति देखी गई (चित्र- 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में कमी की प्रवृत्ति देखी गई (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।<sup>11</sup>

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है<sup>12</sup>। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)<sup>13</sup>, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)<sup>14</sup> के द्वारा भी की गयी है।


इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन के विषय में समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है, उनके द्वारा बताया गया कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 30 दिन की वृद्धि देखी गई है। सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 30 दिन की कमी हुई है। बारिश के दिनों में भी औसतन 20 दिन की कमी हुई है। ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।

11 दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) और दैनिक वर्षा के आंकड़ें बाराबंकी, फुर्सतगंज, फैजाबाद, सुल्तानपुर और सुल्तानपुर 1 स्टेशन (सुल्तानपुर ग्राम पंचायत से निकटतम आईएमडी स्टेशन) से प्राप्त किए गए हैं।


12 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

13 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

14 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | सिंगरलिंग (https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2)




चित्र 2: दियारा का औसत वार्षिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1991-2019



चित्र 3: दियारा में वार्षिक वर्षा (मिलीमीटर), 1991-2019

## प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ


ग्राम पंचायत में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है, जिससे लगभग 36 प्रतिशत परिवार जुड़े हुए हैं। इसके बाद 29 प्रतिशत परिवार व्यापार से और 20 प्रतिशत परिवार गैर-कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। शेष अन्य परिवार कुटीर उद्योग, पशुपालन और सेवा क्षेत्र में संलग्न हैं, जैसा कि चित्र 4 में प्रस्तुत है।



चित्र 4: दियारा में परिवारों की आय के स्रोत

प्राथमिक सर्वेक्षण से परिवारों की वार्षिक आय की जानकारी ली गयी जिसमें बड़ी संख्या में परिवारों (54 प्रतिशत) की आय प्रति वर्ष ₹50,000 से कम है, इसके सापेक्ष बहुत छोटी संख्या में परिवार (0.5 प्रतिशत) ₹5,00,000 लाख से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।

राशन कार्ड संबंधी आंकड़ें बताते हैं कि ग्राम पंचायत में 1,064 राशन कार्ड धारक<sup>15</sup> सार्वजनिक वितरण योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से, लगभग 163 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं जबकि 901 परिवार पात्र गृहस्थी कार्ड<sup>16</sup> धारक हैं।




चित्र 5: दियारा में घरेलू स्तर पर आय वितरण

## कार्यरत महिलाएं

दियारा में लगभग 950 कामकाजी महिलाएं हैं जो ज्यादातर मजदूरी गतिविधियों और स्थानीय दुकानों में संलग्न हैं। (चित्र 6 देखें)।

ग्राम पंचायत में 79 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला है<sup>17</sup> जो ग्राम पंचायत के कुल घरों का केवल ~8 प्रतिशत है। क्षेत्र सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि पंचायत में 32 स्वयं सहायता समूह हैं जो अधिकतर पशुपालन, कृषि गतिविधियों और स्थानीय दुकानों से जुड़े हुए हैं।




चित्र 6: दियारा में आर्थिक गतिविधियों में शामिल महिलाओं की संख्या

## कृषि

ग्राम पंचायत में लगभग 36 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जैसा चित्र 4 में प्रस्तुत है। ये परिवार विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत हैं<sup>18</sup> (चित्र 7 देखें)।

दियारा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 328 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र 424 हेक्टेयर है। चित्र 8 ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार विभाजन दर्शाता है। ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें इस प्रकार हैं: धान (9,000 क्विंटल), गेहूं (15,000 क्विंटल), सरसों (15,000 क्विंटल), अरहर (8,000 क्विंटल), मूंग/उड़द (1,500 क्विंटल), मक्का (5,000 क्विंटल), सब्जियां (1,000 क्विंटल) और अन्य (1,000 क्विंटल)। सिंचाई के मुख्य स्रोत वर्षा जल और भूजल हैं (ट्यूबवेल के माध्यम से)। ग्राम पंचायत में 10 ग्रिड से जुड़े इलेक्ट्रिक पंप, 9 डीज़ल पंप और 1 सोलर पंप का उपयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की लगभग 4 प्रतिशत आबादी



चित्र 7: दियारा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार


15 पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत के कई परिवारों के पास एक से अधिक राशन कार्ड हैं जिस कारण राशन कार्ड की संख्या कुल परिवारों की संख्या से अधिक है

16 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल <https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDkjUiMwMDE5OTIjMDU5NTYx>

17 महिला प्रधान परिवार वे घर है जहाँ महिलाएँ एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती है।

18 ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत में कई परिवार एक से अधिक कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटी भूमि के मालिकों का बड़े खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करना। इसेक अतिरिक्त, बड़े खेत के मालिक अनुबंध कृषि से भी जुड़े हो सकते हैं।

पशुपालन से जुड़ी हुई है। दियारा में कुल पशुधन आबादी 991 (240 गाय, 91 भैंस और 660 बकरियां) है और साथ ही 6,000 मुर्गियां हैं।



चित्र 8: दियारा में सकल फ़सल क्षेत्र का फ़सलवार विभाजन

## प्राकृतिक संसाधन

दियारा में कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है। यहाँ 33 कूपें व 7 तालाब हैं और गोमती नदी ग्राम पंचायत से होकर बहती है। कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी के रूप में यहां वृक्षारोपण किया गया है जो कि वर्तमान में लगभग 14 हेक्टेयर में फ़ैला हुआ है। इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और वर्षा सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में कुल 20 फ़ल वाटिकाएं हैं।

## दियारा में सुविधाएं

### बिजली तथा रसोई गैस (एलपीजी)

- बिजली कनेक्शन: ~98% परिवार
- रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन: ~87% परिवार<sup>19</sup>



### पानी

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत - भूजल
- हैंडपंप - 157<sup>20</sup>




### अपशिष्ट पदार्थ

- पंचायत खुले में शौच से मुक्त अर्थात ओडीएफ़ है ।
- घरेलू शौचालय कवरेज: 97%<sup>21</sup>



### आवागमन और बाज़ार तक पहुंच

- लखनऊ बलिया हाईवे (NH 24)- 3 किलोमीटर
- राष्ट्रीय हाईवे (एनएच 56) - 9 किलोमीटर
- निकटतम रेलवे स्टेशन - 12 किलोमीटर
- निकटतम बस स्टॉप - 2 किलोमीटर
- निकटतम डाक घर (पोस्ट ऑफिस) - 32 किलोमीटर
- ग्राम पंचायत के भीतर सरकारी राशन की दुकान



### शैक्षिक संस्थाएं

- ग्राम पंचायत के भीतर 2 प्राथमिक विद्यालय
- ग्राम पंचायत के भीतर अपर प्राथमिक विद्यालय
- कम्पोजिट विद्यालय
- हाई स्कूल - 2.5 किलोमीटर
- कॉलेज
- डिग्री कॉलेज

### स्वास्थ्य संस्थान

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - 0.5 किलोमीटर
- 1 आंगनवाड़ी केंद्र
- होमियोपैथी स्वास्थ्य केंद्र
- पशु अस्पताल

19 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

20 ग्राम पंचायत में जलापूर्ति के लिए पाइप का निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है

21 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर






ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधारभूत रूपरेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) अनुमान सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, दियारा ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से ~4,341 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) उत्सर्जित किया है (चित्र 9 देखें)।

कृषि, उर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर में होने वाली गतिविधियों ने दियारा ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में अपना योगदान दिया है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से उत्सर्जन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाला उत्सर्जन शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत<sup>22</sup>, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग का कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 9: 2022 में दियारा में विभिन्न गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट

कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा ~81 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र के भीतर, परिवहन (1,890 tCO<sub>2</sub>e), बिजली की खपत (~1,174 tCO<sub>2</sub>e), और आवासीय खाना पकाना (~402 tCO<sub>2</sub>e) प्रमुख उत्सर्जक हैं। कुल उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है। इस सेक्टर में पशुधन (276 tCO<sub>2</sub>e) प्रमुख उत्सर्जक है जिसके बाद धान की खेती (~137 tCO<sub>2</sub>e) है। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत है।



चित्र 10: 2022 में दियारा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

22 बिजली की खपत से हुए उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के लिए (कोयला) दहन ग्राम पंचायत के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

- मौसम की अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ बुआई का समय, कटाई का समय और फ़सलों की सिंचाई की आवश्यकताएँ भी प्रभावित हो रही हैं।
- ग्राम पंचायत में वर्ष 2018 में बाढ़ और वर्ष 2020 में सूखा पड़ने के कारण दूसरे क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि, पशुधन और पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई।
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ। कीटों और फसल रोगों के बार-बार फैलने से फसल को नुकसान।
- ग्राम पंचायत में खराब जल निकासी बुनियादी ढांचे और रखरखाव के कारण बारिश के मौसम में यहां जलजमाव की समस्या हो जाती है।
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएँ।
- प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव।
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी।
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव।

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और **लागत अनुमानों**<sup>23</sup> (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण - I (2024-25 से 2026-27); चरण - II (2027-28 से 2029-30); और चरण - III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत गतिविधियां/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

### कार्ययोजना में मुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. सतत कृषि
2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

23 लागत का अनुमान निम्नलिखित के आधार पर लगाया गया है, जैसे: ग्राम पंचायत के मुख्य सदस्यों से प्राप्त जानकारीयां, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार अनुमानित लागत, या आवश्यक आदानों की प्रति इकाई की अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।

# सतत कृषि



## संदर्भ एवं मुद्दे

- दियारा में कृषि क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 328.24 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 424 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 36 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 4 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ़ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ (~61 हेक्टेयर), धान (~40 हेक्टेयर), सरसों (~81 हेक्टेयर), अरहर (~41 हेक्टेयर), मूंग/उड़द (20 हेक्टेयर), मक्का (~ 41 हेक्टेयर) और सब्जियाँ (~20 हेक्टेयर) हैं।<sup>24</sup>
- ग्राम पंचायत में 2018 में बाढ़ आने और 2020 में सूखा पड़ने के कारण फ़सलों का<sup>25</sup> नुकसान हुआ और पानी की कमी की समस्या हुई।
- कम बारिश के कारण धान की बुआई का समय मध्य-जून से जुलाई के दूसरे सप्ताह में स्थानांतरित हो गया है। इसी प्रकार, गेहूँ की बुआई का समय मध्य-नवंबर से दिसंबर में स्थानांतरित हो गया है।<sup>26</sup> जबकि, सरसों पर माहू कीट के आक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व-बुआई का कार्य अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में किया जाता है।
- 2019-2021 (अगस्त से सितंबर) के दौरान लगभग हर साल फ़सलों पर कीट आक्रमण और बीमारियाँ हुईं।
- पिछले 5 वर्षों में बाढ़, सूखा, फ़सल कीट और बीमारियों के कारण फ़सल को नुकसान हुआ है (झुलसा रोग)। धान की उपज का लगभग 135 क्विंटल बर्बाद हो गया जो कि धनराशि में लगभग ₹3 लाख (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा समर्थित) था।
- दियारा में किसान प्रति वर्ष लगभग 32 टन यूरिया, 37 टन डीएपी, और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष लगभग 69 tCO<sub>2</sub>e का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। दियारा में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।<sup>27</sup>
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, कृषि में जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, ग्राम पंचायत में किसान उत्पादक संगठन और बीज बैंक नहीं हैं जिस कारण किसान तीव्र मौसमी आपातकालीन स्थितियों के दौरान जोखिम प्रबंधन करने से चूक जाते हैं।

उपरोक्त बिंदु अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

24 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

25 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों पर आधारित

26 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार

27 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार



## जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ड्रिप सिंचाई और स्प्रींकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना</li> <li>बाढ़ से खेतों की रक्षा करने के लिए उनके चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण करना</li> <li>जहां संभव हो कृषि तालाबों के निर्माण को बढ़ावा देना</li> <li>फ़सल में पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए चावल की सूखा प्रतिरोधी किस्म को अपनाना और ड्राइ डाइरेक्ट सीडेड किस्मों को अपनाना</li> <li>बाजरा की खेती को अपनाना</li> <li>किसानों को फ़सल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना</li> <li>फ़सलों में आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन (जैसे, जैविक पुनर्चक्रण, फोलिअर स्प्रे के लिए पोषक तत्व, आदि)<sup>28</sup></li> <li>सिंचाई की गई भूमि से वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मल्लिचंग का उपयोग करना</li> <li>खेतों में रणनीतिक/चयनित स्थानों में ऑटोमैटिक/छोटा मौसम स्टेशन स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>मेड़बंधी का विस्तार करना</li> <li>अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण करना</li> <li>सूखा सहन करने वाली फ़सलों की किस्मों को अपनाने के लिए चरण I की गतिविधियों का विस्तार करना</li> <li>बाजरा और फ़लियों जैसे अकाल सहने योग्य फ़सलों सहित फ़सल परिक्रमण और मिश्रित फ़सल का कार्य</li> <li>जागरूकता बढ़ाने वाले प्रयासों को जारी रखना और किसानों को फ़सल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>सूखा सहन करने वाली फ़सलों की किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार करना</li> </ol>

28 सूखा नियम-पुस्तिका (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>

## लक्ष्य

- 30 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म-सिंचाई अपनाना (सरसों और सब्जियों के अंतर्गत 30% कृषि भूमि)
- 164 हेक्टेयर में पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण (कुल कृषि क्षेत्र का 50%)
- यथासंभव 300 m<sup>3</sup> क्षमता के 5 कृषि तालाबों का निर्माण करना
- ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थान में 1 छोटा मौसम निगरानी स्टेशन स्थापित करना

- 40 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म-सिंचाई अपनाना (सरसों और सब्जियों के अंतर्गत अतिरिक्त 40% कृषि भूमि)
- संपूर्ण कृषि भूमि 164 हेक्टेयर (कुल कृषि भूमि का 100%) में पेड़ों के साथ मेड़ का निर्माण
- यथासंभव 10 कृषि तालाबों का निर्माण

- 30 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म-सिंचाई अपनाना (सरसों और सब्जियों के अंतर्गत 100% कृषि भूमि)
- बांधों और खेत तालाबों का रखरखाव

## अनुमानित लागत

- सूक्ष्म सिंचाई: ₹30,00,000
  - मेड़: 1,35,000
  - कृषि तालाब: ₹4,50,000
  - 1 मिनी मौसम स्टेशन की लागत: ₹1,50,000
- कुल लागत: ₹37,35,000

- सूक्ष्म सिंचाई: ₹40,00,000
  - मेड़: ₹1,35,000
  - खेत तालाब: ₹9,00,000
- कुल लागत: ₹50,35,000

- सूक्ष्म सिंचाई: ₹30,00,000  
कुल लागत: ₹30,00,000



## प्राकृतिक खेती अपनाना

## चरण

## सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- I**  
2024-25 से 2026-27
- जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
    - » प्रशिक्षण और प्रदर्शन
    - » नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास (सामुदायिक बीज बैंक के विकास संबंधी पहलों के लिए "अतिरिक्त योजनाओं की सूची" देखें)
    - » जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना
    - » बाजार संपर्कों का पता लगाया जाना

- II**  
2027-28 से 2029-30
- कृषि भूमि की प्राकृतिक खेती में परिवर्तन जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना)
  - चरण I में कार्यान्वित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना

- III**  
2030-31 से 2034-35
- 100% कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

## सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2. मिश्रित फ़सल, फ़सल चक्र, मल्टिंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना
3. विभिन्न फसलों के अंतर्गत भूमि के लिए कृषि-पारिस्थितिकी प्रणाली विश्लेषण (एईएसए) आधारित एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) रणनीतियों को बढ़ावा देना (जीओआई दिशानिर्देशों के अनुसार)

## लक्ष्य

49 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

82 हेक्टेयर (40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

शेष 197 हेक्टेयर (100%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

## अनुमानित लागत

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
  2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹1,21,57,320
  3. आईपीएम प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार
- कुल लागत: ₹1,22,17,320

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
  2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹2,02,62,200
- कुल लागत: ₹2,03,22,200

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
  2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹4,86,29,280
- कुल लागत: ₹4,86,89,280



## सतत पशुधन प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना</li> <li>पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने संबंधी हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना</li> <li>2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण<sup>29</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाओं/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना</li> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाओं/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना</li> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

<sup>29</sup> प्रशिक्षण दिए जाने वाले समुदाय आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर आधारित है



## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ.प्र. बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों की सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन ("स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और टिकाऊ पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- साथ ही,दियारामें सतत कृषि करने वाले किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, और अन्य समुदाय के सदस्यों के क्षमता निर्माण का कार्य क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कंपनियों के सहयोग से किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम (CIPM) - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- मत्स्य पालन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती हेतु क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, सुल्तानपुर

# 2

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



### संदर्भ एवं मुद्दे<sup>30</sup>

- दियारा ग्राम पंचायत मुख्य रूप से कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर है। गर्मियों के दौरान, हैंडपंप के पानी का स्तर गिर जाता है जिससे ग्राम पंचायत में पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है।<sup>31</sup>
- ग्राम पंचायत में 7 तालाब और 33 कुएं हैं। हालांकि, 25 कुओं का खराब रखरखाव हो रहा है और वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं। इसलिए, ग्राम पंचायत में स्थानीय जल संसाधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- दियारा में जलजमाव की भी गंभीर समस्या है और विशेषकर मानसून के महीनों के दौरान यह समस्या अधिक हो जाती है क्योंकि यहां जल निकासी की खराब व्यवस्था है। यह ग्राम पंचायत में आवागमन को प्रभावित करता है, जिस कारण जल निकायों और नालियों में कचरा जमा हो जाता है और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में वृद्धि होती है, साथ ही पीने का पानी भी प्रदूषित होता है।<sup>32</sup>
- भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं।<sup>33</sup>

दियारा में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन विकसित करने और जल उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तावित हैं।

30 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया।

31 जैसा कि HRVCA में उल्लिखित है

32 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों पर आधारित

33 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों पर आधारित



## जल निकायों का रखरखाव

### चरण

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों का जीर्णोद्धार और पुनरूद्धार कार्य</li> <li>2. कुओं की सफ़ाई और मरम्मत</li> <li>3. हैंडपंपों के लिए चबूतरो का निर्माण<sup>34</sup></li> <li>4. तालाबों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण</li> <li>5. जल के उचित उपयोग और जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के मध्य जागरूकता बढ़ाने हेतु मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता विकास करना।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य</li> <li>2. चरण I की गतिविधियों का विस्तार करना</li> <li>3. समुदाय और अन्य हितधारकों के क्षमता विकास का कार्य</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों का नियमित रखरखाव किया जाना</li> <li>2. चरण I की गतिविधियों का विस्तार करना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 तालाबों का जीर्णोद्धार और पुनरूद्धार कार्य<sup>35</sup></li> <li>2. 8 कुओं की सफ़ाई और मरम्मत<sup>36</sup></li> <li>3. 59 हैंडपंपों के लिए चबूतरे का निर्माण<sup>37</sup></li> <li>4. ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण (जल निकायों के आसपास)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 तालाबों और 8 कुओं का रखरखाव कार्य</li> <li>2. जल निकायों के आसपास अतिरिक्त ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 तालाबों और 8 कुओं का रखरखाव कार्य</li> <li>2. आवश्यकता के अनुसार चरण I गतिविधियों का विस्तार</li> </ol>

34 जलाशय की नींव को पानी के किसी भी रिसाव/अतिप्रवाह से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में सेवा जलाशय के चारों ओर एक कंक्रीट मंच का निर्माण किया जाना। लिंक: [https://jaljeewanmission.gov.in/sites/default/files/guideline/Manual\\_for\\_Operation\\_and\\_Maintenance\\_of\\_Rural\\_Water\\_Supply\\_Scheme.pdf](https://jaljeewanmission.gov.in/sites/default/files/guideline/Manual_for_Operation_and_Maintenance_of_Rural_Water_Supply_Scheme.pdf)

35 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

36 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

37 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तालाबों का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार कार्य: ₹21,00,000</li> <li>2. 8 कुओं की सफ़ाई और मरम्मत: ₹56,00,000</li> <li>3. 59 हैंडपंपों के लिए चबूतरे का निर्माण: ₹4,72,000</li> <li>4. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹81.7 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 तालाबों और 8 कुओं का रखरखाव कार्य: ₹41,25,000</li> <li>2. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹41.2 लाख</p>	<p>3 तालाबों और 8 कुओं का रखरखाव कार्य: ₹41,25,000</p> <p>कुल लागत: ₹41.25 लाख</p>
--	--	--



## नालों के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण

### चरण

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जलजमाव की रोकथाम के लिए नालियों की सफ़ाई और नई नालियों की खुदाई का कार्य</li> <li>2. नए आरसीसी जल निकासी तंत्र का निर्माण कार्य</li> <li>3. साइफन लगाना</li> </ol>	मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य	मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य

### लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विशिष्ट स्थान में मौजूदा 0.9 किलोमीटर लंबी नाली की सफ़ाई और खुदाई<sup>38</sup></li> <li>2. विशिष्ट स्थान में 2.2 किलोमीटर लंबे आरसीसी जल निकासी तंत्र का निर्माण कार्य</li> <li>3. साइफन लगाना<sup>39</sup></li> </ol>	मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य	मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य
--	--	--

38 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

39 जैसा कि एचआरवीसीए में उल्लिखित है

## अनुमानित लागत

1. नाली की सफ़ाई और खुदाई: ₹18,00,000
  1. आरसीसी जल निकासी तंत्र का निर्माण: ₹28,17,000
  2. साइफ़न लगाना: ₹20,00,000
- कुल लागत: ₹66.17 लाख

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



## वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

### चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पंचायत में स्थित सरकारी भवनों (पीआरआई) में 11 वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना का कार्य</li> <li>2. सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2000 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना</li> <li>2. सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1000 से 2000 वर्ग फुट बड़े भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना</li> <li>2. सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</li> </ol>

### लक्ष्य

11 सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना (7 शैक्षणिक संस्थाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु अस्पताल)	140 पक्के घरों में 10 m <sup>3</sup> की औसत क्षमता वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना करना	280 पक्के घरों में 10 m <sup>3</sup> की औसत क्षमता वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना करना
--	---	---

### अनुमानित लागत

वर्षा जल संचयन प्रणाली: ₹3,85,000 कुल लागत: ₹3,85,000	वर्षा जल संचयन प्रणाली: ₹49,00,000 कुल लागत: ₹49 लाख	वर्षा जल संचयन प्रणाली: ₹98,00,000 कुल लागत: ₹98 लाख
--	---	---



## भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण

### चरण

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
चरण	<p>I</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>विशिष्ट स्थानों में भूजल प्रबंधन के लिए पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण करना<sup>40</sup></li> <li>जागरूकता एवं प्रशिक्षण छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए सत्र: <ul style="list-style-type: none"> <li>जल संरक्षण की आवश्यकता</li> <li>उपलब्ध जल संसाधनों का सफल प्रबंधन</li> </ul> </li> <li>जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी), निर्माण कार्य समिति और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का क्षमता विकास करना</li> </ol>	<p>II</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>चिन्हित जलग्रहण क्षेत्रों (जहां वर्षा का जल एकत्र होता है) में अधिक पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> <li>ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा जल निकायों और पुनर्भरण गड्ढों का रखरखाव सुनिश्चित करना</li> </ol>	<p>III</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण करना</li> <li>निम्न विषयों पर छात्रों युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए और प्रशिक्षण सत्र</li> <li>जल निकायों और पुनर्भरण गड्ढों का रखरखाव सुनिश्चित करना</li> </ol>
लक्ष्य	59 पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई का कार्य	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार
अनुमानित लागत	पुनर्भरण गड्ढे: ₹20,65,000 कुल लागत: ₹20,65,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

40 अधिक विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

## मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रखरखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- सीएसआर समर्थन का उपयोग ग्राम पंचायत में गुरुत्वाकर्षण आधारित/सौर संचालित आरओ जल निस्पंदन प्रणाली की स्थापना के लिए किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

# 3

## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



### संदर्भ एवं मुद्दे

- क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम पंचायत के अन्दर कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है।
- कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी के रूप में यहां वृक्षारोपण होता है जो कि वर्तमान में लगभग 14 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और वर्षा सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया गया है। ज्यादातर बागानों में उगाए जाने वाले पेड़ों में सागौन, शीशम, अमरूद और जामुन सम्मिलित हैं<sup>41</sup>।
- इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में लगभग 20 फल वाटिकाएं भी हैं।

दियारा ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



### हरित क्षेत्र में सुधार

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधिया

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक सामुदायिक वृक्षारोपण गतिविधियों<sup>42</sup> का आयोजन करना:               <ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों के लिए <b>ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम</b><sup>43</sup> (5 छात्र चयनित)</li> <li>देशी फलों के पेड़ लगाकर <b>खाद्य वन</b> का निर्माण</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>वर्तमान बागानों और नर्सरियों का रखरखाव</li> <li><b>बाल वन</b><sup>44</sup> के निर्माण के साथ अतिरिक्त छोटे पौधे लगाना</li> <li>किसानों को कृषि वन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना</li> <li><b>आरोग्य वन</b> की स्थापना करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>बाल वन और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनमें वृद्धि करना</li> <li>कृषि-वन पहल के अंतर्गत ~ 61 हेक्टेयर (कृषि वन के लिए उपयुक्त भूमि का 100%) भूमि पर कृषि वन की स्थापना<sup>45</sup></li> </ol>

41 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान/समुदाय से प्राप्त आदानों के अनुसार

42 अनुलग्नक VI में वृक्षों की सूची है

43 स्कूली बच्चों से पौधे लगवाए जाएं और हर एक कक्षा से छात्र मार्गदर्शकों को चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत में अपने जैसे अन्य छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे

44 नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

45 गेहूं (~61 हेक्टेयर) के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि को कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त माना जाता है।



2. **आरोग्य वन** का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षारोपण<sup>46</sup>

3. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र:

- » जगलों और हरित क्षेत्रों का महत्व
- » वृक्षारोपण और पेड़ों की देखरेख

5. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र

3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों की स्थापना

4. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र

1. तालाबों, नदियों, सड़कों और अन्य स्थानों में आम और लुप्त हो रहे पेड़ों के 1,000 पौधों का रोपण और कम से कम 65% पौधों को जीवित रखना सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड के उपयोग से)।

पृथक्करण क्षमता<sup>47</sup> : 15-20 वर्षों में 5,600 tCO<sub>2</sub>e से 10,000 tCO<sub>2</sub>e होना अनुमानित

2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/सीमांकन

1. अतिरिक्त 1,000 से 1,500 पौधों का रोपण

पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 7,000 tCO<sub>2</sub>e से 12,500 tCO<sub>2</sub>e

2. आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव

3. ~24 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया जाना (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त), 2,400 पौधों को रोपित किए जाने का कार्य

सागवान/सागौन वृक्षारोपण से पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 13,440 tCO<sub>2</sub>e से 24,000 tCO<sub>2</sub>e

1. अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे लगाए जाने का कार्य

पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 9,800 tCO<sub>2</sub>e से 17,500 tCO<sub>2</sub>e.

2. शेष 37 हेक्टेयर भूमि में कृषि वन की स्थापना, 3,700 वृक्षारोपण करना

पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 20,720 tCO<sub>2</sub>e से 37,000 tCO<sub>2</sub>e

आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन जारी रखना (जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने' अनुभाग में वर्णित है)

वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000

कुल लागत: ₹12,70,000

1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹24,99,500

2. कृषि वानिकी की लागत: ₹9,60,000

कुल लागत: ₹34,59,500

1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹35,90,500

2. कृषि वानिकी की लागत: ₹14,80,000

कुल लागत: ₹ 50,70,500

46 पेड़ों की प्रजातियाँ अनुबंध VI में सूचीबद्ध हैं

47 सागौन की प्रजाति के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाया गया है



## नर्सरी की स्थापना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>3 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रोजगार देकर नर्सरी पॉलीहाउस की स्थापना</li> <li>नर्सरी के रखरखाव और संचालन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रशिक्षित करना</li> </ol>	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
लक्ष्य	ग्राम पंचायत भूमि पर एक फल और वन पौधा नर्सरी पॉलीहाउस स्थापित करना जिससे हरित क्षेत्र में सुधार हो सके और महिलाओं को अतिरिक्त आय भी मिल सके।	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
अनुमानित लागत	नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹3,00,000 <sup>48</sup> कुल लागत: ₹3,00,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार



## जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> <li>लोगों और सभी हितधारकों में जन जैवविविधता रजिस्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतन जारी रखना</li> <li>जागरूकता को मज़बूत करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतन जारी रखना</li> <li>जागरूकता को मज़बूत करना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता विकास</li> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> </ol>	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

48 जैसा कि एचआरवीसीए में उल्लिखित है

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उप्र राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
  - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
  - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ।
  - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बागवानी नर्सरी जैसी गतिविधियों का लाभ एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से उठाया जा सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

49 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

# 4

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी<sup>50</sup> घरेलू गतिविधियों (घरेलू सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा लगभग 506 किलो प्रति दिन है। इसमें से ~293 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा और ~213 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरा होता है (अनुमान पद्धति के लिए संलग्नक IV देखें)।
- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपशिष्ट पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी है और इस कारण ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर खुली जगहों, तालाबों और सड़कों पर कचरा फेंका जाता है। इसके परिणामस्वरूप मानसून के दौरान नालियों में कचरे द्वारा रुकावट के कारण जलजमाव होता है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा होता है।<sup>51</sup>
- दियारा में कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाती है। दियारा ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 991 है (गाय, भैंस, बकरियां सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 3.9 टन प्रति दिन है जिसे खाद, वर्मिकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।<sup>52</sup>
- घरेलू शौचालय कवरेज ~97% है। क्षेत्र सर्वेक्षणों और समूह केंद्रित चर्चाओं से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में शौचालयों तक पहुंच में सुधार लाने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

50 अनुमान पद्धति के लिए संलग्नक IV देखें

51 क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार

52 अनुमान लगाया गया है कि गाय प्रति दिन 10 किलो, भैंस प्रति दिन 15 किलो और बकरी प्रति दिन 150 ग्राम गोबर करती है



## अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> <li>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरे के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना</li> <li>कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन और मजदूरों को नियुक्त करना:           <ul style="list-style-type: none"> <li>» घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से पृथक्कृत कचरे को एकत्र करना</li> <li>» घरों से ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक</li> </ul> </li> <li>कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत स्तर का रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण की सुविधा</li> <li>ग्राम पंचायत स्तर पर प्लास्टिक श्रेडर यूनिट की स्थापना</li> <li>स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्न का रखरखाव करना:           <ul style="list-style-type: none"> <li>» पृथक्करण और भंडारण सुविधाएं</li> <li>» इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन</li> <li>» स्थापित कूड़ेदान</li> </ul> </li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में 1,024 घर (100%) को शामिल किया गया</li> <li>2 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन</li> <li>4 कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>कचरा संग्रहण/परिवहन के लिए पंचायत और स्थानीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्वयं सहायता समूहों, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों और स्थानीय स्क्रेप डीलरों के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>वर्तमान केन्द्रों और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का रखरखाव करना</li> <li>साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदान</li> <li>मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का रखरखाव करना</li> <li>साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>

## अनुमानित लागत

- 1 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी):  
₹2,00,000
  2. 4 कूड़ेदान: ₹60,000
- कुल लागत: ₹2,60,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



## जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

### चरण

### दुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे और नाडेप कम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. कम्पोस्ट वैल्यू चेन तैयार करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र स्थापित करना</li> <li>2. वर्मीकम्पोस्ट और नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव करना</li> </ol>	<p>वर्मीकम्पोस्ट और नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव करना</p>

### लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 40 वर्मीकम्पोस्ट और 18 नाडेप कम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ("आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है): <ul style="list-style-type: none"> <li>» खाद/कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय</li> <li>» कृषि अपशिष्ट की बिक्री</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवश्यकता के अनुसार मौजूदा कम्पोस्ट गड्ढों की क्षमता बढ़ाना/नए कम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवश्यकता के अनुसार मौजूदा कम्पोस्ट गड्ढों की क्षमता बढ़ाना/नए कम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना</li> <li>2. साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>
--	--	--

### अनुमानित लागत

<p>40 वर्मीकम्पोस्ट और 18 नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों की लागत: ₹6,50,000<sup>53</sup></p> <p>कुल लागत: ₹6,50,000</p>	<p>आवश्यकता के अनुसार</p>	<p>आवश्यकता के अनुसार</p>
--	---------------------------	---------------------------

53 अधिक विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें



## स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचों में सुधार

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>समुदाय के अपाहिज (दिव्यांग) सदस्यों के लिए शौचालय का निर्माण</li> <li>नए शौचालयों का निर्माण</li> <li>सामुदायिक शौचालय का निर्माण</li> <li>सभी नए घरों में अनिवार्य रूप से शौचालयों की स्थापना</li> </ol>	शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचों का रखरखाव करना	मौजूदा बुनियादी ढांचों का रखरखाव
लक्ष्य <sup>4</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>समुदाय के अपाहिज (दिव्यांग) सदस्यों के लिए 21 शौचालयों का निर्माण</li> <li>3 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण</li> <li>आवश्यकता के अनुसार नए शौचालयों का निर्माण</li> </ol>	मौजूदा बुनियादी ढांचों का नियमित रखरखाव	मौजूदा बुनियादी ढांचों का रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>समुदाय के अपाहिज (दिव्यांग) सदस्यों के लिए शौचालयों के निर्माण की लागत: ₹6,30,000</li> <li>सामुदायिक शौचालय के निर्माण की लागत: ₹2,10,000</li> </ol> कुल लागत: ₹8.40 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



## एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम: <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)</li> <li>छात्र एवं युवा समूह</li> <li>समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान</li> </ul> </li> </ol>	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखना	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखना

2. सहभागिता मॉडल: अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग देखें

जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखना

2. पिछले चरणों की सफलताओं को मॉडल के रूप में उपयोग कर आसपास के ग्राम पंचायतों में इस पहल का विस्तार किया जा सकता है

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध  
2. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने में 100 महिलाओं को जोड़ा जाना

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध  
2. निम्न को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों में भागीदारी को बढ़ाना:  
» अतिरिक्त 200 महिलाएं  
» अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध  
2. निम्न को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों में भागीदारी को बढ़ाना:  
» अतिरिक्त 200 महिलाएं  
» अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड और पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल प्लांट, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



# 5

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



### संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत दियारा ने 2022-23 में लगभग 14,31,972 यूनिट (kWp) बिजली की खपत की है। ग्राम पंचायत में ~98% घरों में बिजली कनेक्शन है, परन्तु जैसा कि समुदाय के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गयी है, पंचायत में बिजली की आपूर्ति 24\*7 नहीं है। ग्राम पंचायत में प्रतिदिन 5 -6 घंटे तक बिजली की कटौती होती है।<sup>55</sup>
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत में 9 डीज़ल जनरेटर<sup>56</sup> हैं और वे सालाना लगभग 14.5 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- सिंचाई के लिए 9 डीज़ल पंपों का उपयोग<sup>57</sup> होता है जो सालाना ~3.5 किलोलीटर बिजली की खपत करते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 10 ग्रिड से जुड़े पंप हैं।
- सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) और अन्य विद्युत फिक्सचर और कम दक्षता वाले उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। साथ ही, ग्राम पंचायत में 24 सोलर स्ट्रीट लाइटों और 4 सोलर हाई मास्ट लाइटों की आवश्यकता है।<sup>58</sup>
- दियारा में लगभग 87% घर रसोई गैस (एलपीजी)<sup>59</sup> का उपयोग करते हैं जबकि 364 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर के उपलों और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है<sup>60</sup>। ऐसी स्थिति में, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों को अपनाना की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों के भीतर भी तापमान बढ़ रहा है जिस कारण स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य, को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां दियारा में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, टिकाऊ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

55 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

56 क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार

57 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर

58 ग्राम प्रधान से प्राप्त आदानों के आधार पर

59 ग्राम प्रधान से प्राप्त आदानों के आधार पर

60 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर



# सोलर रूफ टॉप की स्थापना

चरण  
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
पंचायत में स्थित सभी सरकारी भवनों (स्वास्थ्य उप केंद्र) पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना <sup>61</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पक्के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना</li> <li>सभी नई इमारतों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाना (जिनका निर्माण चरण II के दौरान हुआ है)</li> <li>सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव किया जाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पक्के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना का विस्तार करना</li> <li>सभी नई इमारतों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाना (जिनका निर्माण चरण III के दौरान हुआ है)</li> <li>सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव किया जाना</li> </ol>	
स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता: <ul style="list-style-type: none"> <li>प्राथमिक विद्यालय, दियारा: (252 वर्ग फुट छत क्षेत्र); 7 kWp</li> <li>प्राथमिक विद्यालय, दियारा प्रथम: (396 वर्ग फुट छत क्षेत्र); 10 kWp</li> <li>प्राथमिक विद्यालय, मिश्रा का पुरवा: (162 वर्ग फुट छत क्षेत्र); 5 kWp</li> <li>अपर प्राथमिक विद्यालय, दियारा: (162 वर्ग फुट छत क्षेत्र); 5 kWp</li> <li>कम्पोजिट विद्यालय: 135 वर्ग फुट छत क्षेत्र; 5 kWp</li> <li>कॉलेज: 720 वर्ग फुट छत क्षेत्र; 10 kWp</li> <li>आंगनवाड़ी: 22 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 3 kWp</li> <li>प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: 270 वर्ग फुट छत क्षेत्र; 10 kWp</li> <li>पंचायत भवन: (198 वर्ग फुट छत क्षेत्र); 5 kWp</li> <li>पशु अस्पताल 270 वर्ग फुट छत क्षेत्र; 7 kWp</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>287 पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना (मौजूदा 40% पक्के घर)<sup>62</sup> इस चरण में, कुल स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 860 kWp बिजली उत्पादन क्षमता: प्रति वर्ष 11,51,926 kWh (प्रति दिन 3,156 यूनिट) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 945 tCO<sub>2</sub>e</li> <li>सोलर रूफटॉप का रखरखाव किया जाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>शेष 430 पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना (मौजूदा 100% पक्के घर) इस चरण में, कुल स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 1,290kWp बिजली उत्पादन क्षमता: प्रति वर्ष 17,27,889 kWh<sup>63</sup> (प्रति दिन 4,734 यूनिट) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 1,417<sup>64</sup> tCO<sub>2</sub>e</li> <li>सोलर रूफटॉप का रखरखाव किया जाना</li> </ol>	

लक्ष्य

61 4 पीआरआई भवनों में सौर स्थापना की सीमा 70% छत क्षेत्र के साथ 10 किलोवाट है

62 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है

63 ग्राम पंचायत में वर्तमान ऊर्जा खपत से 1.2 गुना अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है

64 कम हुए उत्सर्जन से ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने में सक्षम होगा

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

लक्ष्य

इस चरण में स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 67 kW  
बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 89,726 kW h (प्रति दिन 246 इकाई)  
ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 74 tCO<sub>2</sub>e  
हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक स्थापना के इस चरण में परिवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।

अनुमानित लागत

लागत: ₹33,50,000  
कुल लागत: ₹33.50 लाख

लागत: ₹4,30,08,000  
सांकेतिक सब्सिडी<sup>65</sup>: ~40% (राज्य + केंद्र)  
प्रभावी लागत: ₹2.58 करोड़

लागत: ₹6,45,12,000  
सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + केंद्र)  
प्रभावी लागत: ₹3.87 करोड़



## कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

किसान, किसान समूहों आदि के लिए कृषि-फोटोवोल्टिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य

बागवानी सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना

बागवानी सब्जियों के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना

65 सब्सिडी परिवर्तनशील है और इनमें समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशी पिछले रुझानों और औसत के आधार पर निर्धारित की गई है और वर्तमान में यह सटीक नहीं भी हो सकती है।

लक्ष्य	किसानों के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	बागवानी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp (प्रति हेक्टेयर 250 kWp) बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 <sup>66</sup> kWp; प्रति दिन 1,835 इकाई ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e	बागवानी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp (प्रति हेक्टेयर 250 kWp) बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 KWP ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e
	अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	कुल लागत: ₹5 करोड़ <sup>67</sup>

## सौर पंप

चरण	I	2024-25 to 2026-27	II	2027-28 to 2029-30	III	2030-31 to 2034-35
	सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में मौजूदा डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना* *यदि सौर पंप संभव नहीं है, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।	1. ग्राम पंचायत में मौजूदा ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों को सौर पंपों से बदलना 2. नए सौर पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना	नए सौर पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना		
लक्ष्य		मौजूदा 9 डीज़ल पंप सेटों के स्थान पर सौर पंप लगाना स्थापित पंपों की क्षमता: 50 kWp बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 66,290 kWp डीज़ल की खपत में कमी: प्रति वर्ष 3,510 लीटर ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 9 tCO <sub>2</sub> e	ग्राम पंचायत में मौजूदा 10 ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों को सौर पंपों से बदलना			

66 ग्राम पंचायत में वर्तमान ऊर्जा खपत से 6 गुना अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है

67 प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण कृषि-फोटोवोल्टिक्स की लागत में कमी आ रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि किसान बागवानी और उस तरह की फ़सलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फ़सल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, कृषि-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना के लिए बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि के एक प्रतिशत पर ही विचार किया गया है

## अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹27,00,000 - ₹36,00,000	कुल लागत: ₹30,00,000 - ₹40,00,000	
सब्सिडी: ~60% (राज्य + केंद्र)	सब्सिडी: ~60% (राज्य + केंद्र)	
प्रभावी लागत: ₹10,80,000 - ₹14,40,000	प्रभावी लागत: ₹12,00,000 - ₹16,00,000	



## रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

### चरण सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)</p>
लक्ष्य	<p>परिदृश्य 1: 10 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (25% घर जिनके पास मवेशी हैं)</p> <p>परिदृश्य 2: 91 घर बेहतर चूल्हों का उपयोग (50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, जहां संभव हो सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव को भी स्वच्छ खाना पकाने के समाधान के रूप में देखा जा सकता है</p>	<p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 10 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुल 50% घर) + 1005 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं</p> <p>परिदृश्य 2: अतिरिक्त 91 घर बेहतर चूल्हों का उपयोग (शेष 50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है।</p>	<p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 20 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुल 100% घरों में मवेशी हैं)</p> <p>परिदृश्य 2: 182 घर पहले से ही बेहतर चूल्हों का उपयोग</p> <p>इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है।</p>

<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹ 4,87,500 (2 से 3 m<sup>3</sup> बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 50,000)</p> <p>परिदृश्य 2: ₹ 2,73,000 (3,000 रुपए में 1 बेहतर चूल्हा)</p> <p>औसत कुल लागत: ₹3,80,250</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹4,87,500</p> <p>परिदृश्य 2: बेहतर चूल्हों के लिए ₹2,73,000</p> <p>औसत कुल लागत: ₹3,80,250</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹9,75,000</p> <p>परिदृश्य 2: बेहतर चूल्हों के लिए ₹5,46,000</p> <p>औसत कुल लागत: ₹7,60,500</p>
--	--	--



## ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी सरकारी भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना</li> <li>ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब और एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना</li> <li>ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना</li> <li>ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से बदले जाने के कार्य का विस्तार करना</li> <li>2 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदले जाने के कार्य का विस्तार करना</li> <li>सभी घरों में कम से कम 1 पारंपरिक फैन के बदले ऊर्जा कुशल फैन लगाना</li> <li>ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li> </ol>	घरों में पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदले जाने के कार्य को बढ़ाना

<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी सरकारी भवनों में 100% मौजूदा फिक्स्चर को एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना</li> <li>सभी घरों में मौजूदा 1,024 सीएफएल को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 1 ट्यूब लाइट)</li> <li>सभी घरों में मौजूदा 1,024 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 1 ट्यूब लाइट)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी घरों में अतिरिक्त मौजूदा 2,148 सीएफएल को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 2 ट्यूब लाइट)</li> <li>सभी घरों में मौजूदा 2,148 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 2 ट्यूब लाइट)</li> <li>सभी (100%) घरों में 1,074 ऊर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (प्रति घर 1 पंखा)</li> </ol>	सभी (100%) घरों में 2,148 ऊर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (प्रति घर 2 पंखे)
--	---	--

## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. एलईडी (LED) बल्ब की लागत: ₹71,680</li> <li>2. एलईडी (LED) ट्यूब लाइट की लागत: ₹2,25,280</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹2,96,960</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. एलईडी (LED) बल्ब की लागत: ₹1,43,360</li> <li>2. एलईडी (LED) ट्यूब लाइट की लागत: ₹4,50,560</li> <li>3. ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹11,92,140</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹17,30,560</p>	<p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹22,73,280</p> <p>कुल लागत: ₹22,73,280</p>
---	---	---



## सौर स्ट्रीट लाइटें

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सड़कों के किनारों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों में सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना</li> <li>2. सड़कों, फूटपाथों के किनारे, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों के आसपास और अन्य मुख्य स्थानों में हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नए सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना</li> <li>2. अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्थापित करना</li> <li>3. मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और उनकी मरम्मत करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों को सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदला जाना</li> <li>2. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट को हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदला जाना</li> </ol>
लक्ष्य <sup>68</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विशिष्ट स्थानों में 24 एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना</li> <li>2. 4 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना</li> </ol>	<p>आवश्यकता के अनुसार प्रमुख स्थानों में अतिरिक्त सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें और हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना</p>	<p>आवश्यकता के अनुसार प्रमुख स्थानों में अतिरिक्त सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें और हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना</p>
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 24 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना: ₹2,40,000</li> <li>2. 4 हाई-मास्ट सोलर एलईडी (LED) स्ट्रीट लाइटें: ₹2,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹4,40,000</p>	<p>आवश्यकता के अनुसार</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>

68 ग्राम प्रधान से प्राप्त आदानों के आधार पर

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022<sup>69</sup> में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :
  - » आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- प्रति उपभोक्ता तक
  - » स्वयं के द्वारा रेस्को<sup>70</sup> मोड में संस्थानों में या यूपीएनईडीए के परामर्श के साथ संयंत्र की 3 प्रतिशत लागत के परामर्श शुल्क के साथ सौर ऊर्जा की स्थापना के प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
  - » 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
  - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं है
  - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किये जा सकते हैं<sup>71</sup>। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता को 3 किलोवाट पर सीमित किया गया है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी है।
- पीएम कुसुम योजना में निम्न प्रावधान किया गया है :
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किस्तों में किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में यूपी सरकार का योगदान:
  - » घटक C -1 के तहत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सौरीकरण (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी); यह एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है
  - » घटक C-2 के तहत: एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹50 लाख प्रति मेगावाट की वाईएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ (VGF)) प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं<sup>72</sup>
  - » EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर LED स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक LED बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव करता है।
  - » अटल ज्योति योजना और MNRE सौर ऊर्जा स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वाट की LED और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करते हैं।

69 [https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर\\_प्रदेश\\_सोलर\\_एनर्जी\\_पॉलिसी\\_2022.pdf](https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पॉलिसी_2022.pdf)

70 तृतीय पक्ष (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

71 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

72 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।



- ग्राम उजाला योजना<sup>73</sup>
  - » ₹.10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर LED बल्ब उपलब्ध हैं।
  - » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के LED बल्ब दिए जाएंगे
- कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सब्सिडी
  - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
    - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा है।
    - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी "नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला<sup>74</sup> के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है। ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण के लिए सौर-आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों की बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग सलूशन के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है।
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिंग धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
  - » स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों<sup>75</sup> की स्थापना हेतु प्रति जिला 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022<sup>76</sup> गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त CBG संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - » कंप्रेसड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर ₹. 75 लाख प्रति टन से अधिकतम ₹. 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
  - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
  - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
  - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है
  - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹. 0.25 करोड़ प्रति 12000 m<sup>3</sup>/दिन है<sup>77</sup>
- पीएम-सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उन घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो सौर छत स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं<sup>78</sup>।

73 ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी।

74 यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटवाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

75 <https://pib.gov.in/PressReleaseframePage.aspx?PRID=1883926>

76 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

77 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

78 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

## वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- एग्रो-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर (CSR) निधियों का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
  - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
  - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/SHG के सदस्यों को संचालन एवं रखरखाव" का प्रशिक्षण प्रदान करना
  - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना

## प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

# 6

## सतत और उन्नत गतिशीलता



### संदर्भ एवं मुद्दे

- दियारा में कुल 812 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं: 1 जीप, 750 - दोपहिया वाहन, 41 कारें, 2 ऑटो-रिक्शे और 17 ट्रैक्टर हैं<sup>79</sup>। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 11 ई-रिक्शे और 3 ई-वाहन हैं।
- आईसीई वाहन द्वारा कुल ईंधन खपत इस प्रकार है: प्रति वर्ष 1,037 किलो लीटर डीज़ल और प्रति वर्ष ~175 किलो लीटर पेट्रोल। कुल मिलाकर, परिवहन सेक्टर द्वारा ईंधन की खपत से 1,885 tCO<sub>2</sub>e से अधिक का उत्सर्जन हुआ है।<sup>80</sup>
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के अंदर की कई सड़कों में जलजमाव की समस्या है।

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल की महत्वपूर्ण संभावना है।

### मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>सड़क आरसीसी (RCC)/ इंटरलॉकिंग के कार्य</li> <li>फुटपाथ का निर्माण</li> </ol>	आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत	आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत
लक्ष्य	4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के इंटरलॉकिंग का कार्य <sup>81</sup>	नियमित और समय पर सड़कों का रखरखाव/मरम्मत	नियमित और समय पर सड़कों का रखरखाव/मरम्मत

79 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

80 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों पर आधारित

81 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

## अनुमानित लागत

सड़क आरसीसी (RCC)/ इंटरलॉकिंग कार्य: ₹2,56,00,000 कुल लागत: ₹2.56 करोड़	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
--	---------------	---------------



## मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में मौजूदा पेट्रोल संचालित ऑटो रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदला जाना	पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-ऑटोरिक्शा को क्रय किया जाना	मांग के आधार पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं
लक्ष्य	मौजूदा डीज़ल संचालित ऑटो रिक्शा के स्थान पर 2 ई-ऑटोरिक्शा ग्राम पंचायत के आईपीटी बेड़े में जोड़ा जाना	आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना	आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना
अनुमानित लागत	एक ई-ऑटोरिक्शा की लागत <sup>82</sup> : लगभग ₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹5,76,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

82 ई-ऑटोरिक्शा की लागत अन्य विशेषताओं सहित कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदी के आधार पर ₹1,50,000 से ₹4,00,000 के प्राइस बैंड या इससे अधिक होती है। परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखकर ई-ऑटोरिक्शा की कीमत प्राइस बैंड के मध्य में माना जा रहा है



## ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर को अपनाने हेतु बढ़ावा देना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना</li> <li>आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को संवेदनशील बनाना</li> <li>ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा उपलब्ध करना (आजीविका बढ़ाने वाले अनुभाग में वर्णित)</li> </ol>	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहनों का क्रय किया जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000</li> <li>5 ई-माल वाहक: ₹25,00,000 – ₹50,00,000</li> </ol> कुल लागत: ₹55 लाख – ₹80 लाख	लागत बाज़ार दर पर आधारित	लागत बाज़ार दर पर आधारित

## मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और MGNREGS की सहायता से सड़क के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उसमें सुधार किया जा सकता है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
  - » खरीदारों के लिए 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
  - » 1 साल की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन<sup>83</sup> के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत
- ई-रिक्शों के लिए सब्सिडी का लाभ फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज II (फेम II) स्कीम के तहत भी लिया जा सकता है

## वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

## प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)

<sup>83</sup> सरकारी सब्सिडी में समय-समय पर सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के आधार पर परिवर्तन आते हैं। इसलिए, इस कार्ययोजना के किसी भी अनुभाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और वास्तविक खरीदारी के समय इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।

# 7

## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



कृषि ग्राम पंचायत का मुख्य आधार है और लगभग 36 प्रतिशत परिवार इससे जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में आजीविका संबंधी अनिश्चितता है, जिसका कारण विशेष रूप से बारंबार होने वाले सूखे की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन तथा वर्तमान में कृषि और पशुपालन में की जाने वाली अरक्षणीय प्रथाएं हैं। इसके परिणामस्वरूप, आबादी का एक बड़ा भाग अनिश्चितता में फंसा हुआ है। ग्राम पंचायत में कृषि संबंधी कार्य और/या स्थानीय व्यवसाय/दुकानें अन्य मुख्य आय के स्रोत हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 11 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित गतिविधियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनके विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत हैं:

### सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. सतत उत्पादों (बैग, घर के सजावटी सामान, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना।)
2. इसके लिए क्षमता निर्माण:
  - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

#### निम्न का प्रारंभिक जुड़ाव:

- 100 महिलाएं
- 16 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना

#### इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- अतिरिक्त 200 महिलाएं
- अतिरिक्त 16 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



## जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता निर्माण
  - » खाद और वर्मी-खाद बनाने की तकनीक
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य:**
  - » घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न कम्पोस्ट/खाद: प्रति दिन 293 किलो; प्रति माह 8,790 किलो (वर्तमान में उत्पन्न होने वाले कचरे के अनुसार)
2. **दीर्घकालिक लक्ष्य:**
  - » जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/ वर्मी -कम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



## ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु  
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को वाणिज्यिक किराए पर लेने की सुविधा (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य**
  - » 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
  - » 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)
2. **मध्यावधि लक्ष्य**
  - » अतिरिक्त 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 इलेक्ट्रिक वाहन मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक  
(ध्यान दें: यह माना जा रहा है कि दियारा में 35 HP ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी कीमत प्रायः ₹6 लाख है)





## सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर उत्पन्न करना
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (मीट्रिक टन क्षमता सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर)  
 लगत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000



## प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ सहभागिता

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाना



## विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&M)

### सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किंग योजनाओं से सहायता

## वित्त पोषण एवं कौशल विकास

1. हरित उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से);
2. सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का बढ़ावा दे सकती हैं।
3. सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले आवश्यक कौशल विकास।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

## 1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 84,85,86

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

## 2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

84 [https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium\\_Updated\\_20230922.pdf](https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf)

85 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

86 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय<sup>87</sup>, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़<sup>88</sup>:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

### 3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र<sup>89</sup>:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

87 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

88 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

89 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

## 4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब<sup>90,91</sup>

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई।
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं।

### निर्मल गुजरात अभियान<sup>92</sup>

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु आवास) में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)<sup>93</sup>" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशित द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

## 5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर<sup>94</sup>

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग से जुड़ी है।

90 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

91 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

92 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

93 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspssc>

94 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

## 6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है<sup>95</sup>।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

## 7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोकलाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में <sup>96</sup>

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

## 8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

95 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

96 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना <sup>97</sup>

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

## 9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्पिफिसिंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ा है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले<sup>98</sup>

स्वयं शिक्षान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

## 10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

97 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

98 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)<sup>99</sup>

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

## 11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में<sup>100</sup>



- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

99 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

100 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>







## सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>101</sup>
क. जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि</li> <li>मृदा स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार</li> <li>कृषि जल सुरक्षा में सुधार</li> <li>शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई</li> <li>वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई</li> </ul>	<b>एसडीजी 2: शून्य भूख</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 2.3</li> <li>लक्ष्य 2.4</li> <li>लक्ष्य 2.ए ; अनुच्छेद 10.3.ई</li> </ul> <b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 13.1</li> </ul> <b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
ख. प्राकृतिक खेती अपनाना 		
ग. सतत पशुधन प्रबंधन 		





<sup>101</sup> प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. जल निकायों का रखरखाव</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है</li> <li>बेहतर भूजल पुनर्भरण</li> <li>पानी की गुणवत्ता में वृद्धि</li> <li>सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ना</li> <li>कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.1</li> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 6.5</li> </ul>
<p>ख. नालों के बुनियादी ढांचो का सुदृढीकरण</p> 		<p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
<p>ग. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)</p> 		<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul>
<p>घ. भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण</p> 		<p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> </ul>
		<p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> </ul>





## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना







सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित क्षेत्रों में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र</li> <li>सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.7</li> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
<p>ख. नर्सरी की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> <li>बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul>
<p>ग. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> <li>जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.2</li> <li>लक्ष्य 15.3</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> <li>लक्ष्य 15.9</li> </ul>








## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन






सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलभराव कम हुआ</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार</li> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 3.3</li> <li>लक्ष्य 3.9</li> </ul>
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन</p> 		<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.8</li> </ul>
		<p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>





<p>ग. स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>आजीविका और आय सृजन</li> <li>राजस्व और लाभ सृजन</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> </ul>    
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफ टॉप की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा सुरक्षा</li> <li>उष्ण से राहत</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है</li> <li>विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <p>लक्ष्य 6.4</p> <p><b>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.1</li> <li>लक्ष्य 7.2</li> <li>लक्ष्य 7.3</li> <li>लक्ष्य 7.ए</li> <li>लक्ष्य 7.बी</li> </ul>  
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक</p> 		
<p>ग. सौर पंप</p> 		

<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ</li> <li>घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी</li> <li>विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है</li> <li>आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>  
<p>ड. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 		
<p>च. सौर स्ट्रीट लाइट</p> 		

## समतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> <li>जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> <li>जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>    
<p>ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना</p> 		
<p>ग. ई-वाहनों और ई-ट्रेक्टर को अपनाने को बढ़ावा देना</p> 		

# आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी</li> <li>स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट</li> <li>100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 5.5</li> </ul>
<p>ख. जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ</li> <li>कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन।</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul>
<p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि</li> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	   
<p>च. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&amp;M)</p> 		

**का**र्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों से दियाराके ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत जलवायु स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। दियारा के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर दियारा को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, दियारा जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसररचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही दियारा को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

## अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

### पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया<sup>102</sup>। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

दियारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना<sup>103</sup> का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन नेगेटिव के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

### कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि

102 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), गोयूपी (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

103 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।



और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाई जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
  - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
  - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
  - » दियारा ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें क्लाइमेट-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

# अनुलग्नक II: प्रश्नावली



## उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : दियरा

विकासखण्ड : मोतिगर पुर

जनपद सुलतान पुर

### I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1
2	टोलों की संख्या	9
3	A कुल जनसंख्या	6325
	B कुल पुरुषों की जनसंख्या	3197
	C कुल महिलाओं की जनसंख्या	3128
	D विकलांगजनों की जनसंख्या	21
	E कुल बच्चों की जनसंख्या	865
	F वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	1080
4	कुल परिवार की संख्या	1920
A	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	164
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	530.138 Hct.
6 A	साक्षरता दर	75%
7 A	पक्का घरों की संख्या	1739
B	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	191 (खपरैल, मिट्टी व टीन शेड)



## II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	1000
	किराए की भूमि (हुण्डा)	25
	अनुबंध खेती	0
	दिहाड़ी मजदूर	820
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	50
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	25
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	30
	कुटीर उद्योग	150
	कृषि	700
	कला/हस्तकला	0
	पशुपालन	70
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	561
	व्यवसाय/उद्यम	24
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	385
	अन्य	Nil



10 पलायन		हां	नहीं
A	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/ व्यक्तिगत की संख्या	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव		
	निकट के शहर		
	राज्य के प्रमुख शहर	3 परिवार	हाँ
	देश के प्रमुख महानगर	9 परिवार	हाँ
C	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हाँ	नहीं
		हाँ	<input type="checkbox"/>
D	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	04 बंगाली परिवार दियरा बाजार में आकर बसे हैं, जिसमें 3 व्यवसाय से जुड़ गये और एक डॉक्टरी पेशे से	

11 महिलाओं की स्थिति		
A	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	79
B	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	20
	किराए की भूमि/हुण्डा	2
	अनुबंध खेती	0
	दिहाड़ी मजदूर	20
	अन्य व्यवस्था	NIL
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	अधिकांश महिलायें खेती से सम्बन्धित कार्य करती हैं
C	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	12
	कुटीर उद्योग	5



	कृषि	14
	कला / हस्तकला	0
	पशुपालन	0
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	3
	दैनिक / दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	3
	अन्य	0

12	स्वयं सहायता समूहों				
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	निधि समूह	10	Nil	4800	हां
2	रेखा समूह	10	बकरी भैस	4800	हां
3	माँ सरसवती समूह	10	बैंक सखी	4800	हां
4	गुलाब समूह	11	कृषि सखी	5200	हां
5	गायत्री समूह	12	समूह सखी, बी0सी0 सखी	5600	हां
6	सीता माता समूह	10	दुकान	4800	हां
7	सटी माता समूह	11	NIL	5200	हां
8	जयमाँ सरसवती समूह	10	दुकान	4800	हां
9	ओम समूह	10	NIL	4800	हां
10	जय भीम समूह	12	भैंस, दुकान	5600	हां
11	जय भोले समूह	10	फर्नीचर	4800	हां
12	हरे कृष्णा समूह	10	गोमटी	4800	हां
13	जय माँ लक्ष्मी समूह	10	पार्लर	4800	हां
14	गौतम बुद्ध समूह	12	आटो	5600	हां
15	शिव समूह	10	भैस पालन	4800	हां
16	लक्ष्मी समूह	12	बकरी	5600	हां
17	वैष्णवी समूह	10	दुकान	4800	हां
18	रोजगार समूह	10		4800	हां



19	सोनकर समूह	10		4800	हां
20	वैष्णव माता समूह	10	दुकान	4800	हां
21	साई बाबा समूह	10	बकरी	4800	हां
22	अकंछा समूह	13	NIL	6000	हां
23	श्री राम समूह	12	NIL	5200	हां
24	बजरंग बली समूह	10	NIL	4800	हां
25	ओम समूह	10	NIL	4800	हां
26	मा काली समूह	10	दुकान	4800	हां
27	श्री बाला जी समूह	10	दुकान	4800	हां
28	जय संतोषी माँ समूह	10	दुकान	4800	हां
29	दुर्गा माता समूह	10	बकरी	4800	हां
30	गंगा समूह	12	पत्तल	5200	हां
31	विन्ध वाशनी समूह	10	NIL	4800	हां

13	कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)					
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र
	Nil	<input type="checkbox"/>				

14	अन्य समुदाय आधारितसंगठन /					
	सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन/ समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	उत्पाद/ सेवा	विपणन/ लक्षित उपभोगकर्ता
1	Nil	<input type="checkbox"/>				

15	योजनाएं
----	---------



a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ/कार्य
	मनरेगा	885	256	15,70,000	0	खड़न्जा, सम्पर्क मार्ग, बन्धा निर्माण, बाउन्डी वाल, वृक्षारोपण, तालाब खुदाई
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	197	164		33	
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	350	350		0	
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2	2		0	सिंचाई
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	Nil				
<b>B</b>	<b>अन्य योजनाएं</b>					
	ग्राम उज्जवला योजना	Nil				
	ऊर्जा दक्षता योजना	Nil				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	Nil				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	83				
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	1089	1047			
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	Nil				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	Nil				
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	Nil				
	मौसम आधारित फसल बीमा	Nil				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	70	45			
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	Nil				
	किसान क्रेडिट कार्ड					
	स्वच्छ भारत मिशन	1300	1300	15600000	0	व्यक्तिगत शौचालय



	सौर सिंचाई पम्प योजना	Nil				
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	Nil				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	1	1			
	गोवर्धन योजना	Nil				
	जल पुनर्भरण योजना	Nil				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	1	1			
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	Nil				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	Nil				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	Nil				
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	Nil				

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	2035
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	430

3	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	सहकारी समिति पारस पट्टी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		गेहू 6260	2210	5 K.M
	सहकारी समिति बड़ाहुना डीह	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		धान 7500	2510	3K.M
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19	शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)
----	--------------------------------





	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य (4) उल्लेख करें)
a	प्राथमिक विद्यालय				
	प्राथमिक विद्यालय दियरा प्रथम	400	178	1	(2), (4)
	प्राथमिक विद्यालय मिश्र का पूरा प्रथम	225	72	0	
b	जू० हाई स्कूल				
	उच्च प्राथमिक विद्यालय दियरा प्रथम	280	70	0	
	कंपोजिट विद्यालय दियरा प्रथम	300	332	0	
c	हाई स्कूल				
	रानी महेंद्र कुमारी इंटर कालेज	20000	1500	0	0



d	अन्य संस्थान				
	सरस्वती विधा मंदिर	150	81	0	0
	कुटराजी विधा	100	53	0	0

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	लखनऊ से बलिया	1	3 किमी0	2
	सुल्तानपुर से वाराणसी	2	9 किमी0	1

### III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	Nil
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	Nil
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Nil
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Nil
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	Nil
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Nil



23		अन्य भूमि का वर्गीकरण	
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	28.843	
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	Nil	
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/> आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3		
	अतिरिक्त सूचनाएं		

24		जल निकाय क्षेत्र	
	विवरण	हां	नहीं
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	5	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	10 साल से अतिक्रमण है।	
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	3 जगह पर अतिक्रमण है।	

25		जल आपूर्ति	
a	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) भूमिगत जल—(3) तालाब/झील—(4) अन्य— (5)	(3)	
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी	



c	<p><b>घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है?</b></p> <p>पाइप जलापूर्ति (1)</p> <p>ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2)</p> <p>पानी टंकी (3)</p> <p>महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4)</p> <p>हैण्डपम्प (5)</p> <p>ऊँचा सतही जलाशय (6)</p> <p>कूआ (7)</p> <p>अन्य (8), उल्लेखित करें। (5)</p> <p>अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है? (7)</p>	
d	<p><b>कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?</b></p>	Nil
e	<p><b>क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?</b></p>	Nil
f	<p><b>पाइप जलापूर्ति की नियमितता</b></p> <p>24× 7 घण्टे(1)</p> <p>काफी नियमित (2)</p> <p>अनियमित (3)</p>	Nil
g	<p><b>ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?</b></p> <p>नहर (1)</p> <p>वर्षा जल (2)</p> <p>भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B))</p> <p>तालाब/झील (4)</p> <p>पानी टैंक (5) (2)</p> <p>नदी (6) (3A),</p> <p>अन्य (7) (7) व्यक्तिगत बोरिंग</p>	
h	<p><b>क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?</b></p>	बारहमासी
i	<p><b>क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?</b></p>	संतोषजनक
j	<p><b>अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)</b></p>	समान्य है



	क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	बढ़ जाता है
--	--	-------------

#### IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
<b>26</b>				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		√	□	□
c	दिनों की संख्या	35		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	Nil		
<b>27</b>				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	√	□
c	दिनों की संख्या	30		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)			
<b>28</b>				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	√	□
c	दिनों की संख्या	20		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	कम दिनों में अधिक वर्षा		
<b>29</b>				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	√	□



<b>b</b>	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>c</b>	दिनों की संख्या		25	
<b>d</b>	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>e</b>	दिनों की संख्या		5	
<b>f</b>	अन्य सूचनाएँ/जानकारी			



### चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया			जून- जुलाई		
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	निजी सहायता			कृषि स्तर पर प्रबन्धन अतिरिक्त सिंचाई की गई	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कम	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	2020 में सूखा पड़ा, 1920 परिवार प्रभावित हुआ, 23 हैण्डपम्पों की जल स्तर नीचे गया, 300 हे0 में पैदावार कम हुई				
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया					जुलाई
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	निजी सहायता			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	सन् 2018 में आई बाढ़ से दियरा की निषाद बस्ती के 25 घर प्रभावित हुए थे।				
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई					
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)					
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		



e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
---	--	--	--	--	--	--

### 33 ओलावृष्टि

a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई					
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	निजी सहायता				
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### 34 फसलों के कीट/बीमारी

a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?		अगस्त सितम्बर	अगस्त सितम्बर	अगस्त सितम्बर	
b	किस प्रकार के टिड्डी कीट/बीमारी को देखा गया?		रस्ट रोग धान में झुलसा रोग	रस्ट रोग धान में झुलसा रोग	रस्ट रोग धान में झुलसा रोग	
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	किसान के द्वारा निजी सहायता से कीट नाशक दवा का प्रयोग किया गया				
d	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं					

### 35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी

		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





	पूर्व चेतावनी प्रणाली / मौसमी चेतावनी प्रणाली / कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>36</b>	<b>अनाज भण्डारण</b>	
	<b>a</b> ग्राम पंचायत के आपातकालीन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	Nil
	तेल	Nil
	चीनी	Nil
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	Nil
	<b>b</b> क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	Nil

<b>37</b>	<b>ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत</b>	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	<input checked="" type="checkbox"/>
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	<input checked="" type="checkbox"/>
	मोबाईल फोन/एप	<input checked="" type="checkbox"/>
	मौखिक	Nil
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	Nil
	पशुपालन विभाग	<input checked="" type="checkbox"/>
	उद्यान विभाग	Nil
	अन्य	Nil

<b>कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)</b>							
<b>38</b>	<b>फसल हानि</b>						
	<b>a</b>	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम—	अनुमानित हानि की मात्रा	परिणाम स्वरूप आय में हानि



		रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)		गर्मी, टण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	(कुन्तल)	(औसत रु0)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil				
	द्वितीय वर्ष (2021)	खरीफ (1)	धान	झुलसा रोग	30	57,000
	तृतीय वर्ष (2020)	खरीफ (1)	धान	झुलसा रोग	50	95,000
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Nil				
	पंचवां वर्ष (2018)	खरीफ (1)	धान	झुलसा रोग	75	142,000
<b>b</b>	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	फसल बीमा का लाभ बहुत कम मिल पाता है Nil				



39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ धान	रवी गेहूँ सरसों सब्जी	जायद/अन्य ऋतु सब्जी	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	जुलाई	हाँ	जून के अंतिम सप्ताह	वर्षा न होने के कारण
	गेहूँ	नवम्बर	हाँ	अक्टूबर का अंतिम सप्ताह	ठण्ड का देरी से पड़ना अक्टूबर में पानी बरसने से निचले स्थानों में अंतिम सप्ताह में देर से हुई
	सरसों	नवम्बर	हाँ	अक्टूबर का अंतिम सप्ताह	अगैती सरसों की बुआई होने से माहो का प्रकोप कम होता है
	सब्जी	अक्टूबर	हाँ	सितम्बर	शीत लहर के पूर्व
c	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)				

40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि/पद्धति का उपयोग (रूपया/एकड़)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया/एकड़)



	गेहूँ	नलकूप (6)	1000	नलकूप (6) वर्षा आधारित (4),	500	
	धान	नलकूप (6)	1000	नलकूप (6) वर्षा आधारित (4),	500	
	सरसों	नलकूप (6)	1000	नलकूप (6) वर्षा आधारित (4),	500	
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		09	10	01	30	
c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है					
<b>41 पशु पालन/पशुधन</b>						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		(1) (2) (3)			
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (1) मछली (3) मुर्गी (2)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	गाय (1) भैंस (1) बकरी (6)	4 3 18	शीतलहर	सर्दी	(2)
	द्वितीय वर्ष(2021)	गाय (1) भैंस (1) बकरी (6)	6 4 17	शीतलहर/ रोग	सर्दी	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	गाय (1) भैंस (1) बकरी (6)	8 5 16	शीतलहर/ रोग	सर्दी	(2)



	चतुर्थ वर्ष(2019)	गाय (1) भैंस (1) बकरी (6)	4 2 20	शीतलहर / रोग	सर्दी	(2)
	पंचम वर्ष(2018))	गाय (1) भैंस (1) बकरी (6)	4 3 18	शीतलहर / रोग	सर्दी	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	मुर्गी (1)	730	शीतलहर	सर्दी	(2)
	द्वितीय वर्ष(2021)	मुर्गी (1)	810	शीतलहर	सर्दी	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	मुर्गी (1)	815	शीतलहर	सर्दी	(2)
	चतुर्थ वर्ष(2019)	मुर्गी (1)	830	शीतलहर	सर्दी	(2)
	पंचम वर्ष(2018))	मुर्गी (1)	845	शीतलहर	सर्दी	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil				
	द्वितीय वर्ष(2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	Nil				
	पंचम वर्ष(2018)	Nil				



	अन्य जानकारी / सूचनाए					
--	--------------------------	--	--	--	--	--



प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/ जानकारी

42 a	उर्वरक उपयोग				कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी				
	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि )	ऋतु/ मौसम	उपज (प्रति एकड़)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
	धान	सर्दी	5700	यूरिया डी0ए0पी0 जिक	100kgयूरिया 40Kg डी0ए0पी0 8Kg जिक	(2)	पयूराडान	200 gm	(2)	2 - 4D	250ML/ एकड़	(2)
	गोहूँ	गर्मी	4800	यूरिया डी0ए0पी0	100kgयूरिया 50Kg डी0ए0पी0	(2)	पयूराडान	200 gm	(2)	2 - 4D	200ML/एकड़	(2)
b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/ जागरूक हैं?					



## V. कृषि व पशुपालन

43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां				
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0 / कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)				
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मलबिग, फसल चक्र, अर्न्त-फसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि )	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)	
NIL	NIL	NIL	NIL	

45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां									
पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6) - उल्लेख करें	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (2), वन उन्मूलन (3) अन्य (4)- उल्लेख करें
कृषि वानिकी	10 एकड़	निजी	(4)	जामुन अमरुद आम	15-06-2021	70%	व्यक्तिगत लाभ	(1)	(1)





सामाजिक वनिकी	25 एकड	ताला ब राज कीय स्थल (3)		सागौन और शीशम	15-06-2021	40%	सामुदायिक	(2)	(2)
---------------	--------	-------------------------	--	---------------	------------	-----	-----------	-----	-----



46	अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक			
	पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रति वर्ष)
	गाय (देशी नस्ल)	200	पशुआहार, खुले में चराई	5500 / -
	गाय (संकर नस्ल)	40	पशुआहार, खुले में चराई	8000 / -
	भैंस (देशी नस्ल)	35	पशुआहार, खुले में चराई	9000 / -
	भैंस (संकर नस्ल)	56	पशुआहार, खुले में चराई	12000 / -
	बकरी	660	पशुआहार, खुले में चराई	5000 / -
	सुअर	NIL	NIL	NIL
	मुर्गी	6000	पशुआहार	350 / -
	मत्स्य	10000	चारा	400 / -
	अन्य (भेड़)	80	पशुआहार, खुले में चराई	4000 / -

47	जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)						
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		√	√				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		□	□	√			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
		□	□	√	□	□	
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		√	□	□	□	□	□



	सामाजिक वनिकी	ताला ब राज कीय स्थल (3)	(2)	सागौन और शीशम	15-06-2021	40%	सामुदायिक	(2)	(2)
--	---------------	-------------------------	-----	---------------	------------	-----	-----------	-----	-----



46	अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक			
	पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रति वर्ष)
	गाय (देशी नस्ल)	200	पशुआहार, खुले में चराई	5500/-
	गाय (संकर नस्ल)	40	पशुआहार, खुले में चराई	8000/-
	भैंस (देशी नस्ल)	35	पशुआहार, खुले में चराई	9000/-
	भैंस (संकर नस्ल)	56	पशुआहार, खुले में चराई	12000/-
	बकरी	660	पशुआहार, खुले में चराई	5000/-
	सुअर	NIL	NIL	NIL
	मुर्गी	6000	पशुआहार	350/-
	मत्स्य	10000	चारा	400/-
	अन्य (भेड़)	80	पशुआहार, खुले में चराई	4000/-

47	जल की गुणवत्ता (पियजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)						
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		√	√				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		□	□	√			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
		□	□	√	□	□	
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		√	□	□	□	□	□



## VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

48 टोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	सब्जी का छिलका, धूल मिट्टी, प्लास्टिक एवं रद्दी कागज आदि	1-2 किलो				
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	हाथ की ट्राली से					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input checked="" type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति	500मी0	4 से 5 स्थानों पर कचरा फेंका जाता है	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	छटाई होकर बाहर जाता है

9 खुले में शौच मुक्त स्थिति				
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं	
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1500
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	01	<input type="checkbox"/>	01- कांजी हाउस के बगल में
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	60 प्रतिशत का प्रयोग हो रहा है 40 प्रतिशत प्रयोग नहीं हो रहा है		



e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	शौचालय की जर्जर स्थिति व रूढ़िवादिता के कारण और अनुसूचित जाति की बस्ती में प्रयोग नहीं हो रहा है।
---	---	---

50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	√	□	□	□	□
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	50 ली० प्रति परिवार				
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	×			×	
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	×			×	

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	√	□	200 sq meter
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		√	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	√	□	200 sq meter
d	आंगनवाड़ी	√	□	360 sq fit
e	आशा	√	□	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	√	□	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल		√	

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)



a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	30	16	12	2	NIL	√	<input type="checkbox"/>	
b	जल-जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाईफाई ड / हैपेटाइटिस आदि)	12	6	4	2	NIL	√	<input type="checkbox"/>	
c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	7	0	3	4		√	<input type="checkbox"/>	जिला चिकित् सालय
d	कुपोषण	NIL					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	1890
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	12
	एयर कुलर	850
	रेफ्रिजरेटर / फ्रीज	300

54	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
55	वोल्टेज अस्थिरता / उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कृच्छ्र बार	√
	विद्युत में क्वैलबासही	<input type="checkbox"/>
b	अस्थिरता कितनी घण्टे तक रहती है?	5 से 6 घण्टे गुल रहती है
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	NIL

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	09
	सौर उर्जा	--
	इमरजेंसी लाईट	200



इन्टरवर्स	500
अन्य साधन (उल्लेख करें)	1220 चिमनी, मोमबती, lalten

57 नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	NIL	
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	NIL	
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	NIL	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	NIL	
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	NIL	
	सौर स्ट्रीट लाईट	NIL	
	बायोगैस	NIL	
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	NIL	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	NIL	

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	650	30 से 40
	बायोगैस	NIL	NIL
	एलपीजी गैस	1220	10 से 12
	विद्युत	NIL	NIL
	सौर उर्जा	NIL	NIL
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	NIL	NIL
59	वाहन की संख्या		





	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जेप	0		
b	कार	6	डीजल / पेट्रोल	50किमी0
c	दो पहिया वाहन	6	पेट्रोल	30किमी0
D	विद्युत चालित वाहन	0		
e	आटो	2	डीजल	70किमी0
f	ई-रिक्शा	8	विद्युत	50किमी0
g	अन्य	3	डीजल	80किमी0

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	10	डीजल	20किमी0
b	कम्बाईन हारवेस्टर	0		
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	0		

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)										
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)						
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा
a		नहीं								
b										

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	ऊर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2),	ऊर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)



			नवीनीकरण / अक्षय उर्जा (3)	
1	आइस्क्रीम फैक्ट्री	01	विद्युत (1)	1200



## क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत का नाम –दियरा

विकास खण्ड–मोतिगरपुर

जनपद–सुल्तानपुर (उ०प्र०)

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

दियरा ग्राम पंचायत एक दृष्टि में-

ग्राम पंचायत	दियरा
विकास खण्ड	मोतिगरपुर
जिला	सुल्तानपुर
ग्राम प्रधान का नाम	श्री रवीन्द्र कुमार
राजस्व ग्राम की संख्या	1
टोले की संख्या	9
कुल जनसंख्या	6325
कुल पुरुषों की जनसंख्या	3197
कुल महिलाओं की जनसंख्या	3128
कुल 6-14 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या	865
कुल दिव्यांग जनों की संख्या	21
कुल परिवार की संख्या	1920
गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या	164
जनसंख्या विभाजन (परिवार)	सामान्य 580, पि0जाति-515, अनु0जाति-825
भौगोलिक क्षेत्रफल	<b>530.138 Hct.</b>
साक्षरता दर	<b>75%</b>
पक्के घरों की संख्या	1729
कच्चे घरों की संख्या	191
कुल कूओं की संख्या	33

## जोखिम, खतरा, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

### जलवायु परिवर्तनशीलता - प्रवृत्ति/ परिवर्तन, मुख्य चुनौतियाँ, झटके एवं तनाव-

ग्राम पंचायत दियरा में सभी मौसम में सर्दी, गर्मी, एवं बरसात का प्रभाव रहता है। 18 वर्ष पूर्व सर्दी 20 अक्टूबर से 15 मार्च तक पड़ती थी, परन्तु सर्दी अब देर से शुरू हो रही है और फरवरी माह में ही समाप्त हो जा रही है. वर्ष 2022 में जून माह में बारिश कम हुई। जुलाई माह में भी दो-तीन दिन छोड़कर बारिश बहुत कम मात्रा में हुई है. सूखा जैसे स्थिति दिखाई पड़ी. कृषि कार्य करने वाले लोगों से बात करने पर पता चला कि आज से 15 वर्ष पूर्व धान की फसल में केवल एक बार सिंचाई करनी पड़ती थी, किन्तु धान की फसल 2022 में तीन बार सिंचाई करनी पड़ी है. गाँव के लोगो ने बताया कि पहले गर्मी मई-जून से लेकर अगस्त तक होती थी, किन्तु अब गर्मी 15 मार्च के बाद से सितम्बर तक रहती है। विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा पी.आर.ए.पद्धति से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आकड़ों के आधार पर जलवायु, आपदा, खतरा व जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया.

### **आपदा- खतरा जोखिम प्रोफाइल से सम्बन्धित सूचनार्ये निम्नवत है-**

1-गाँव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं प्राथमिकीकरण-

समुदाय के साथ आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा व बातचीत की गई, जिनसे उनके प्रभाव को एवं इसमें उत्पन्न समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया. इसमें दियरा ग्राम पंचायत की मुख्य आपदा बाढ़ और सूखा है। इससे खेती, आजीविका, पेयजल एवं स्वास्थ्य तथा साफ-सफाई आदि में जोखिम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं

#### **आपदा का इतिहास एवं क्षति-**

आपदा का इतिहास एवं उनसे हुई क्षति पर समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया, जिनका व्यापक प्रभाव समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ा है. ग्रामवासियों से मिली जानकारी के अनुसार दियरा गाँव में वर्ष 1980 एवं 2018 में बाढ़ आई थी, इसी प्रकार सूखा की घटना 2020 में हुई जिससे फसलों की काफी नुकसान हुआ था.

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदायें दियरा ग्राम पंचायत को निम्न रूप से प्रभावित करती हैं -

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----

जलजमाव/ बाढ़												
सूखा												
ओला												
आँधी/ तूफान												
लू												
शीतलहर												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण मौसमी कैलेण्डर बनाने से व समुदाय के साथ चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि पिछले कुछ वर्षोंके दौरान कम दिनों में अधिक वर्षा हुई है। इसी प्रकार तापमान चरम पर पहुँचने से पर्यावरण में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिल रहा है

बाढ़ और सूखा इस ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्या है। जो प्रत्येक वर्ष समुदाय की खेती, मजदूरी एवं आवागमन को पूरी तरह प्रभावित करती है। साथ ही मई जूनमें अत्यधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतया मानसून के दिनों जून-जुलाई माह में वर्षा का न होना, कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। जिसका दूरगामी प्रभाव सिचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन और चारे का संकट जैसी आपदा पूरे वर्ष झेलना पड़ता है। जहाँ पिछले 8 से 10 वर्षों में खरीफ की फसल प्रभावित हो रही है, वही दूसरी तरफ रबी की फसल में भी थोड़ा बहुत ओलावृष्टि के कारण फसल प्रभावित होती है। इन सब के बावजूद पुरानी सोच के लोग अभी भी 5% लोग फसल अवशेष जलाते हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को काफी नुकसान होता है।

जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के आकलन तथा उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान का आकलन-

संभावित जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय व संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी स्थानीय लोगों से चर्चा के उपरांत प्राप्त किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में समुदाय के सभी वर्गों, महिला, पुरुष, एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही है।

आपदाओं का ग्राम पंचायत दियरा के पर्यावरण और आधारभूत संरचना के साथ साथ मानव जीवन, आजीविका एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. बाढ़ और सूखा यहाँ की प्रमुख जोखिम है। इस गाँव के निषाद बस्ती के लोग जो इस ग्राम पंचायत में गोमती नदी के किनारे बसे हैं उनके लिए हर बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा बना रहता है. ग्राम पंचायत में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके विवरण निम्नवत है—

### खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं—

क्रम	आपदा/ खतरा	सम्भावित जोखिम के क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1	सूखा	पेयजल	जल स्तर का नीचे जाना पेयजल की कमी का संकट	पूरा गांव	1920	23 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का जलस्तर नीचे चला जाता है
		कृषि	पैदावार कम होना	पूरा गांव	1000	300 हे०
		उद्यान/ सब्जी उत्पादन	सिचाई लागत अधिक	पूरा गांव		1500 पेड़ एवं 40 बीघा सब्जी
		पशुपालन	जानवरों को चारा का संकट, तापमान बढ़ने से बीमारियां दूध का उत्पादन कम होना	गाय-26 भैस-17 बकरी-89	70 परिवार	132 जानवर प्रभावित हुए
2	बाढ़/जल जमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होने से जल जनित बीमारियां	निषाद बस्ती	25 परिवार (7 परिवार मिट्टी का घर)	04 हैण्ड का पानी दूषित
		स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट का बहकर फैल जाना	निषाद बस्ती	25 परिवार (7 परिवार मिट्टी का घर)	खड्गजा, इण्टरलॉकिंग का न होना एवं 10 परिवारों को शौचालय की दिक्कत
		स्वास्थ्य	जल जनित बीमारियां टायफाइड मलेरिया आदि का होना	निषाद बस्ती	25 परिवार	लगभग 7 लोग बीमारियों से प्रभावित
		शिक्षा	आवागमन बाधित होने से विद्यालय में उपस्थिति कम होना ड्राप-आउट	निषाद बस्ती	25 परिवार	घर और रास्ते पर जल भराव
3	लू	स्वास्थ्य	मानव और पशुओं को लू लगना स्वास्थ्य खराब होना	पूरा गांव	1920 परिवार	438 घर में स्वास्थ्य सेवाओं का बाधित होना पेयजल सूख जाना, चारा का सूख जाना
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित	—	140 बच्चे	शिक्षा बाधित
4	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को ठण्ड लगना	शवास की बीमारी में वृद्धि	1920 घर	शीतलहर के प्रकोप से मानव स्वास्थ्य की हानि, 500 वृद्धजन बुरी तरह प्रभावित
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान	700 परिवार	—	140 हे० खेत

		पशुपालन	पशु क्षति	पूरा गांव	70 पशुपालक	प्रत्येक वर्ष 18 बकरी, 3 गाय और 4 भैंस प्रभावित
--	--	---------	-----------	-----------	------------	---

### आजीविका के संसाधनों पर आपदा का प्रभाव—

दियरा ग्राम पंचायत की आजीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषिगत मजदूरी पशुपालन, व छोटी दुकानें हैं, जिससे ग्रामीण अपना जीवन यापन करते हैं। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। यहां का एक जनपद—एक उत्पाद 'मूज' है।

### विस्तृत विवरण हेतु संलग्न संख्या-05 देखें

**3. नाजुकता विश्लेषण—** आपदाओं का बार-बार सामना करने से प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। समुदाय ग्राम पंचायत की आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन, नाजुक स्थल का जानना अति आवश्यक है। इसे जानने को लिए समुदाय के साथआशा, आगनवाडी कार्यकर्त्री आदि की मदद से नाजुक वर्ग एवं स्थल की जानकारी ली गयी, जिसमें मिश्र का पुरवा, मुसहर बस्ती, पाल बस्ती, निषाद बस्ती, उल्फत का पुरवा, तिवारी पुर, कोडरिया, दियरा, अनुसूचित जाति की बस्ती व मुस्लिम बस्ती में जाकर फोकस ग्रुप चर्चा के माध्यम से आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनके आंकड़ों की जानकारी प्राप्त की गयी।

### सूखा—

समुदाय के साथ चर्चा से यह निकल कर आया कि मौसम के बदलाव के कारण ग्राम पंचायत में सूखा व बाढ़ दोनों बड़ी समस्यायें हैं परन्तु सूखे से पूरा गांव प्रभावित होता है जबकि बाढ़ से केवल एक बस्ती (निषाद बस्ती) ही प्रभावित होती है किन्तु अगर बाढ़ के जल का स्तर अधिक होगा तो पूरा गांव प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार इस ग्राम पंचायत की एक प्रमुख समस्या सूखा भी है। समुदाय के साथ चर्चा से यह तथ्य निकलकर आया कि **सूखा** इस ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्या है। आज से 20 वर्ष पहले बरसात मई माह से सितम्बर माह तक होती थी। किन्तु विगत 8-10 वर्षों से बरसात के मौसम में जून में बारिश हुई ही नहीं। जुलाई माह में 1-2 बार बारिश होती है। कभी कभी तो अतिवृष्टि की संभावना हो जाती है और बाद में सूखे की स्थिति बनी रहती है। सूखे की स्थिति में निम्नलिखित गतिविधियां और वृद्धि कर रही है—

- खेतों में केवल रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, जैविक खाद का प्रयोग न के बराबर है।
- वृक्षारोपण का अभाव है। सड़क के किनारे खेतों के मेड़ों पर कृषि व सामाजिक वनिकी का अभाव है।
- गांव के खेत में मेड़बन्दी जैसी जल संरक्षण गतिविधियों की कमी है।



- गांव में कुल 33 कुएं हैं, जो भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं परन्तु इसमें से केवल 8 कूओं का पानी साफ है या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आठ कुएं का उपयोग किया जाता है। बाकी कूएं पाट दिये जा रहे हैं या पटने की स्थिति में आ गये हैं। इसमें खरपतवार, मिट्टी एवं कूड़े-करकट आदि भरा पड़ा है। परिणाम स्वरूप इन कूओं के साथ साथ आस-पास के तालाबों की भी जल धारण क्षमता प्रभावित हो रही है।
- गांव में कुछ स्थानों पर बाग-बगीचा है, परन्तु सड़क के किनारे व तालाब के किनारों पर पर वानिकी का अभाव दिखता है।
- कुछ किसान पराली भी जला रहे हैं, जिससे भी पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है।

### सूखा का समुदाय पर प्रभाव-

- पेयजल प्रभावित हुआ है गर्मी के दिनों में 23 इण्डियामार्क हैण्डपम्प का जलस्तर नीचे चला जाता है।
- सूखा के प्रभाव से खरीफ की फसल की सिचाई लागत बढ़ जाती है। इस गांव में दस साल पूर्व आये सूखे से 300 हे० खेती की उपज प्रभावित हुई थी।
- जानवरों को चारे का संकट उत्पन्न हो जाता है और दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाती है।

### बाढ़/जल भराव-

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत दियरा में बारिश के मौसम में जहां निषाद बस्ती में बाढ़ आ जाती है, वहीं अन्य 8 पुरवों में जल भराव की स्थिति हो जाती है। नाली की उपयुक्त गहराई व साफ-सफाई न होने के कारण दियरा **दलित** बस्ती व अन्य जगहों पर पानी भरने से गन्दगी इत्यादि रहती है। जिसका मुख्य कारण दियरा ग्राम पंचायत में 04 से 05 जगहों पर पानी निकास की जगहों पर अतिक्रमण के साथ साथ साफ सफाई का अभाव है। ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह गाँव ऊँचे नीचे स्थान पर बसा है।

### समुदाय पर बाढ़/जल भराव का प्रभाव-

- बाढ़ से ग्राम पंचायत दियरा की निषाद बस्ती के 20 से 25 घर प्रभावित होते हैं। जिसमें से 07 परिवार अत्यन्त गरीब है।
- जल भराव से दियरा **दलित** बस्ती सर्वाधिक प्रभावित होती है, जिसमें 70 घर प्रभावित होते हैं। इसमें से 45 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इन्हीं परिवारों में 06 दिव्यांग जन है, जिनके आने जाने की समस्या बनी रहती है। बरसात के समय पूरे बाजार का पानी नाले से एकत्रित होता है। जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण अन्य पुरवे की अपेक्षा इस बस्ती में बीमारियां भी ज्यादा है। बात-चीत के दौरान जानकारी से प्राप्त हुआ कि मलेरिया, टायफाइड जैसी बीमारियों का प्रकोप पिछले वर्ष यहां अधिक हुआ था।
- ग्राम पंचायत भवन दियरा के सम्मुख जलभराव की समस्या निरन्तर बनी रहती है।

- जल भराव की स्थिति से रास्ता आवागमन के लिए खराब हो गये हैं, जिससे गांव के बच्चे को अपने विद्यालय तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करते हैं और विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं, जिससे बच्चों के शिक्षा का स्तर पर भी प्रभावित हो रहा है।
- इण्डिया मार्का 59 हैण्डपम्प में बारिश के समय पानी अशुद्ध/दूषित हो जाता है।

### 3. लू लगना—

गांव को प्रभावित करने वाली आपदा में लू तीसरे नम्बर पर आया। गर्मियों के दिनों में अप्रैल से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक लू की स्थिति बनी रहती है। गर्म हवायें चलती हैं जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है। इससे समुदाय के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव एवं पशुओं पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। पशुओं के चारे एवं पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

### 4. शीतलहर—

शीतलहर गांव को प्रभावित करने वाले चौथे नम्बर की आपदा है। ग्रामवासियों से चर्चा में निकलकर आया कि जहाँ पहले शीतलहर 15 नवम्बर से पूरी फरवरी होती थी। वही अब ये दिसम्बर माह से 15 जनवरी तक ही रहती है। शीतलहर मानव एवं पशुओं साथ-साथ कृषि को भी प्रभावित करता है। शीतलहर और बीमारी से प्रत्येक वर्ष करीब 25 से 30 जानवर की मृत्यु हो जाती है। गाय और भैसों के दूध देने में कमी आ जाती है। शीतलहर के प्रकोप से आलू, दलहन, तिलहन पर भी प्रभाव पड़ता है। ग्राम पंचायत में जलावन हेतु लकड़ी की समस्या उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी समस्या आजीविका की है। ग्राम पंचायत में 385 परिवारों के उपर जीवन-यापन का संकट उत्पन्न हो जाता है, जो कि दैनिक मजदूर है।

### उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय के व्यवहार परिवर्तन एवं ढांचागत कमियाँ हैं, जो निम्नवार हैं—

- गांव में 07 डेयरी खुली होने और उससे पूरी ग्राम पंचायत में 60 प्रतिशत परिवार जुड़ा होने पर भी गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग इसका ढेर लगाकर कण्डे के रूप में जलावन हेतु प्रयोग करते हैं।
- कृषि गत गतिविधियों कीटनाशक, खरपतवारनाशक एवं रसायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। गांव में गीला एवं सूखा कचरा इकठठा होकर गलियों एवं खड्डों पर किनारे पड़ा रहता है। 12 कूड़ेदान गांव में लगा है, जिसकी नियमित सफाई व उठाई नहीं होती है।
- मानसून के दिनों में जलजनित बीमारियों की शंका बनी रहती है। जिससे दियरा **दलित** बस्ती, मुसहर बस्ती ज्यादा प्रभावित होती है।
- गांव में समुदाय आधारित संस्थाओं की कमी है। सामुदायिक अनाज बैंक/युवा मण्डल दल/महिला मण्डल/धार्मिक मण्डल/फार्मस प्रोड्यूसर कम्पनी आदि सामाजिक संगठनों की कमी है। 32 महिला समूह बने हैं। समूह में व्यक्तिगत लाभ व व्यक्तिगत सोच की प्रधानता दिखती है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।

- लोगो में जानकारी एवं जागरूकता का आभाव है। जिसके फलस्वरूप लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी न होने के कारण लाभ से वंचित रह जाते हैं। जिससे समुदाय की नाजुकता बढ़ जाती है लोग पशुपालन तो करते हैं किन्तु पशु बीमा, फसल बीमा, आदि की जानकारी नहीं रखते हैं।
- समुदाय स्तर पर सहकारी समितियाँ क्रियाशील नहीं हैं। विद्यालय प्रबन्धन समिति, ग्राम स्वास्थ्य-स्वच्छता एवं पोषण समिति और पंचायत की सभी समितियों में जागरूकता की कमी है।
- इसी प्रकार कृषि परामर्श, मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी तंत्र आदि के आभाव में यहाँ के लोगों की नाजुकता में और वृद्धि होती है।
- ग्राम पंचायत में 60 प्रतिशत शैचालयों की हालत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिनका प्रयोग न के बराबर होता है। लोगो में रुढ़िवादिता की सोच आज भी विकसित है। जिससे ग्राम पंचायत में बाढ़ एवं जल जमाव की स्थिति में गन्दगी का और ज्यादा अम्बार हो जाता है।
- मिश्र का पुरवा आंगनवाड़ी केन्द्र जर्जर की अवस्था में है। खिड़की-दरवाजे की मरम्मत की आवश्यकता है। जहाँ कृष्ण कुमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सुनीता सहायिका हैं इनके यहाँ 6 नामित गर्भवती, 4 धात्री, 03 से तीन वर्ष के बच्चे 33 और 3से 6 प्रतिदिन पढ़ने वाले 42 बच्चे हैं।

#### 4. क्षमता विश्लेषण-

आपदाओं के सम्बन्ध में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गांव स्वयं में कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हेतु समग्र ग्राम पंचायत की क्षमता का आकलन किया गया। जिसमें जलवायु परिवर्तन एवं उससे उत्पन्न होने वाली आपदाओं एवं खतरों से गांव के साथ आस-पास उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते हैं। यह संसाधन पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनकी पहचान होने से आपदा से निपटने में आसानी होती है और ये संसाधन भी मददगार साबित होते हैं।

ग्राम पंचायत दियरा जो कि सुल्तानपुर वाराणसी राजमार्ग से बाये तरफ उत्तर की ओर स्थित है। जो जिला मुख्यालय से 30 किमी० की दूरी पर है। दियरा कोट (फोर्ट) होने की वजह से अपने आप में काफी विकसित ग्राम पंचायत है। इस गांव में गांव के ग्रामीणों के लिए तमाम सुविधायें हैं। जैसे 07 सरकारी विद्यालय जिसमें प्राइमरी से लेकर इण्टर तक की शिक्षा 1 से डेढ किमी० के अन्दर 2565 बच्चों को मिल रही है। इसी प्रकार यहाँ 6 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। जहाँ 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए सुविधायें मिल रही हैं। 0 से लेकर 6 वर्ष तक के कुल 522 बच्चे हैं जिनको पोषाहार का लाभ मिल रहा है। पाठशाला पूर्व शिक्षा का लाभ 234 बच्चों को लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार 36 धात्री महिलाओं को पोषाहार व देखभाल सम्बन्धी सेवाएं मिल रही हैं। 43 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जाँच व अन्य सुविधायें प्राप्त हो रही हैं। ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय, दूध डेयरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु अस्पताल, दो कब्रिस्तान, एक शमशान, एक गौ-शाला, एक होम्योपैथ अस्पताल 2 प्राइवेट स्कूल के साथ

साथ आवागमन हेतु खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग और गांव से 01किमी0 की दूरी परस्थित लखनऊ-बलिया राज मार्ग भी है। उत्तर में राजमार्ग एवं दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग होने की वजह से ये ग्राम पंचायत अपने आपमें करीब 6000 से ज्यादा की आबादी लिए पूरी तरह विकसित है। दियरा ग्राम पंचायत में 70 प्रतिशत घर पक्के बने है। जिन पर कुछ में प्लास्टर एवं कुछ बिना प्लास्टर के है। 08 प्रतिशत घर मिट्टी से व7 प्रतिशत टीनशेड और 15 प्रतिशत खपरैल इत्यादि से निर्मित है। यहां पर इस ग्राम पंचायत में 07 तालाब, 09 पुरवे में छोटे बड़े बाग व बांध है। गांव के अन्दर एक नाला है जो गोमती नदी के तरफ बहकर जाता है। यह गाँव 3 तरफ नाले से घिरा है और पश्चिमी छोर की तरफ समतल जमीन पर गाँव बसा है। गांव में 157 हैण्डपम्प है। जिसमें लगभग 08 हैण्डपम्प को छोड़कर सभी हैण्डपम्पों का पानी पीने योग्य शुद्ध व मीठा है। ग्राम पंचायत में 32 महिला संगठन बने हुए है। जिसकी वार्षिक बचत 137200.00 रुपये प्रति वर्ष होती है। सभी समूहों से बैंक का जुड़ाव है। ग्राम पंचायत में 33 कूँए है। ग्राम पंचायत में आम, अमरूद, जामुन, महुआ, शीशम आदि के पेड़ लगे हुए हैं।

गांव की विशेषता दियरा कोट के सामने स्थित गोमती नदी के किनारे बने विशाल मन्दिर इसकी भव्यता को चार चांद लगाते हैं। इसी प्रकार सुल्तानपुर बनारस लिंक रोड पर स्थित दियरा ग्राम पंचायत में रानी महेन्द्र कुमारी, सरदार बल्लभ पन्त भाई इण्टर कालेज है, जो कि पुराने राजमहल (कोट) में चलता है जिसकादृश्य बड़ा ही मनोहर होता है। इसी से 100 मीटर आगे चलकर दियरा बाजार है जहाँ करीब 500 से ज्यादा लोग अपनी छोटी बड़ी दुकानें खोलकर परिवार की आजीविका चलाते है। यहाँ की साक्षरता दर 70 प्रतिशत के करीब है।

### सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े तथा तथ्य-

विशेषकर साधनों के संदर्भ किये गये क्षमता आकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया है जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यायवरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र पर अंकित किया गया। जबकि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ फोकस ग्रुप चर्चा करके सूचनायें प्राप्त की गई, जो निम्न प्रारूप में दर्ज की गयी हैं-

विवरण	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम	गांव की दूरी
प्राथमिक विद्यालय दियरा प्रथम	01	बाल मुकुन्द	100मी0
उच्च प्राथमिक विद्यालय दियरा	01	जय प्रकाश सिंह	500मी0
प्राथमिक विद्यालय मिश्र का पुरा	01	संतोष कुमार गौतम	1किमी0
कम्पोजिट विद्यालय दियरा	01	इन्द्र प्रताप सिंह	100मी0
रानी महेन्द्र कुमारी बल्लभ भाई कालेज	01	विजय बहादुर	1किमी0
डिग्री कालेज	01	-	500मी0
आंगनवाड़ी कम्पोजिट विद्यालय दियरा द्वितीय	01	बिन्दु देवी	100मी0

आंगनवाड़ी कम्पोजिट विद्यालय दियरा द्वितीय	01	रीता शुक्ला	100मी०
प्राथमिक विद्यालय दियरा प्रथम (निजी भवन)	01	मंजू सिंह	100मी०
प्राथमिक विद्यालय दियरा प्रथम (निजी भवन)	01	सुशीला देवी	100मी०
मिनी आंगनवाड़ी तिवारीपुर	01	सरिता पाण्डेय	02किमी०
प्राथमिक विद्यालय मिश्र का पुरवा आंगनवाड़ी केन्द्र	01	कृष्ण कुमार	01किमी०
पंचायत भवन	01	रवीन्द्र कुमार	100मी०
सरकारी राशन की दुकान	02	वन्दना गुप्ता मनोज कुमार	200मी०
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	01	—	500मी०
होम्योपैथ स्वास्थ्य केन्द्र	01	—	500मी०
पशु चिकित्सालय	01	कमलेश यादव	100मी०
कृषि क्य केन्द्र	01	राम सूरत	300मी०
दियरा थाना	01	112	7किमी०
ब्लाक मोतिगरपुर	01	—	5किमी०
तहसील लम्भुआ	01	—	12किमी०
जिला सुल्तानपुर	01	—	30किमी०
जिला न्यायालय	01	—	30किमी०
जिला चिकित्सालय	01	—	31किमी०
प्रधान डाकघर सुल्तानपुर	01	—	32किमी०
बिजली विभाग सुल्तानपुर	01	—	3किमी०
रेलवे स्टेशन लम्भुआ	01	—	12किमी०
बाजार लम्भुआ	01	—	12किमी०

### भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से उनकी दूरी—

क्रमांक	संसाधन	संख्या	विवरण/नाम	दूरी
<b>पर्यावरणीय संसाधन</b>				
1	तालाब	7	गुड़िया तालाब 8बीघा, हीरामती 8बीघा, उल्फतपुरा 4बीघा, कन्या पाठशाला 4बीघा, दियरा तालाब 3बीघा, दलिततालाब 8बीघा, दियरा स्टेट तालाब 2बीघा	3 किमी०

2	कूआ	33	मुसहर बस्ती 01, पाल बस्ती 05, उल्फतपुरा 07, तिवारीपुर 09, कोड़रिया 08, दियरा दलितबस्ती 02, मिश्र का पुरा 06	2 किमी0
3	नाला	3	पूरब, उत्तर एवं दक्षिण	1 किमी0
4	बाग	20	मुसहर बस्ती 02, पाल बस्ती 04, उल्फतपुरा 01, तिवारीपुर 05, कोड़रिया 03, दियरा दलितबस्ती 02, मिश्र का पूरा 02, निषाद बस्ती 01	2 किमी0
5	न्दी	1	गोमती नदी	1 किमी0
6	कृषिगत क्षेत्र	328. 24 हे0	—	2.5 किमी0
7	खुला क्षेत्र/सामुदायिक भूमि	105. 08 हे0	—	3 किमी0

#### मानव संसाधन संख्या –

1	ग्राम प्रधान	01	रवीन्द्र कुमार
2	प्रधानाध्यापक		बाल मुकुन्द
3			इन्द्र प्रताप सिंह
4			जय प्रकाश सिंह
5			सन्तोष कुमार गौतम
6			विजय बहादुर
7			आंगनवाड़ी
8	रीता शुक्ला		
9	मंजू सिंह		
10	सुशीला देवी		
11	सरिता पाण्डेय		
12	कृष्ण कुमार		
13	आंगनवाड़ी सहायिका	03	अनीता देवी
14			फूल कली
15			सुनीता
16	आशा बहू	06	गीता गुप्ता
17			शीला देवी
18			उमा सिंह
19			मंजू सिंह
20			शशी बाला
21			हीरा देवी

22	ए0एन0एम0	01	माधुरी
23	पशुचिकित्सक	01	कमलेश यादव
24	होम्योपैथिक चिकित्सक	01	—
25	पंचायत सचिव	01	छीपक
26	मेठ	01	म्नीता
27	झोला-छाप चिकित्सक	01	जीतेन्द्र सिंह

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह सुविधायें आपदा प्रभाव को कम करने के लिए सहायक होती हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं से समुदाय लाभांवित हो रहे हैं या नहीं। ये सुविधा समुदाय के पहुंच में हैं कि नहीं। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है, जिनका पूरा विवरण निम्नवत संकलित किया गया है।

### वित्तीय संसाधन—

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध होने वाले सम्भावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे

क्रम संख्या	मद	2022–23
1	15वां वित्त आयोग	29,22,738.00
2	स्वयं के राजस्व के स्रोत (ओ0एस0आर0)	40,000.00

### क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-दियरा की कार्य योजना का निर्माण

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के पश्चात सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समुदाय से फोकस ग्रुप चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान सभी 5 सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएँ और उन समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के उपरान्त क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम की अवधारणा के तहत **स्मार्टग्राम पंचायत विकास योजना** बनाई गयी है। इसमें आपदा, जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे विस्तार से जानकारीयें एकत्र की गया हैं। **सेक्टरवार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत दियरा की कार्ययोजना निम्न तालिका के अनुसार है:-**

क्र०सं०	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
1	सेक्टर 1- मानव विकास सामाजिक सुरक्षा साफ-सफाई और सुरक्षा	कचरे से पटे हुए कूओं की सफाई सुरक्षा व मरम्मत का कार्य	08 कूओं की मरम्मत 08 पुरवों में	1. तिवारीपुर राम आधार 2. कोइरिया जयराजी 3. दियरा दलितबस्ती 4. दियरा मुसहर बस्ती 5. दियरा पाल बस्ती 6. उल्फत का पुरवा 7. निषाद बस्ती 8. मिश्र का पुरवा	8,00,000	02 माह गर्मी के मौसम में	15वां वित्त आयोग
2		जैविक-अजैविक कूड़ा प्रबन्धन	04 कूड़ेदान का निर्माण	1. काली माई चौरा के पास 2. अजनी यादव के घर के पास 3. कांजी हाउस के पास 4. इण्टर कालेज के पास	4,00,000	03 माह	15वां वित्त आयोग



3	विकलांग जनों हेतु व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	21 विशेष विकलांग शौचालयों निर्माण	1. तिवारीपुर-03 2. कोइरिया-05 3. दियरा 4. दलितबस्ती-06 5. दियरा मुसहर बस्ती-06 6. दियरा पाल बस्ती-03 7. उल्फत का पुरवा-01 8. निषाद बस्ती-01 9. मिश्र का पुरवा-03 10. मुस्लिम बस्ती-01	6,30,000	6 माह	15वां वित्त आयोग
4	नाइप और जैविक खाद का पिट निर्माण	मृदा को नम बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 40 वर्मीकम्पोस्ट एवं 18 नापेड कम्पोस्ट पिट का निर्माण	1. तिवारीपुर-15 2. कोइरिया-10 3. दियरा 4. दलितबस्ती-05 5. दियरा मुसहर बस्ती-02 6. दियरा पाल बस्ती-09 7. उल्फत का पुरवा-01 8. निषाद बस्ती-03 9. मिश्र का पुरवा-11 10. मुस्लिम बस्ती-02	6,50,000	06 माह	15वां वित्त आयोग/ मनरेगा/कृषि विभाग
5	जल निकासी हेतु मोटे साइफन को लगवाना	गन्दे पानी को गांव से बाहर निकासी हेतु मोटे साइफन लगवाना	एस0सी0बस्ती दियरा	20,00,000	2 माह	15वां वित्त आयोग/ मनरेगा
6	पक्की नाली निर्माण	500 मीटर भोला के घर से मुर्गी फार्म तक नाली निर्माण,	कोइरिया	28,71,000	1 माह बरसात के बाद	15वां वित्त आयोग

7				600मीटर ननकऊ के घर से बाजार तक नाली निर्माण, 700मीटर ब्रम्हादीन के घर से सूरदास के घर तक नाली निर्माण, 200 मीटर प्रभावती के घर से नाले तक नाली निर्माण, 200 मीटर लाल बहादुर के घरसे सुरेन्द्र बहादुर के घर तक,	दियरा बाजार  दियरा बाजार  दियरा बाजार  उल्फत का पुरवा	18,00,000	1 माह	15वां वित्त आयोग	
				150 मीटर श्याम नारायण पाण्डेय के घर से हरीशंकर, 500 मीटर नसीरुद्दीन के घर से सरकारी अस्पताल तक, 150 मीटर राम अंजोर के घर से नाला तक, 100 मीटर सुरेन्द्र बहादुर के घर के पीछे,	तिवारी पुर  दियरा बाजार  कोड़रिया  बन्धुमिश्र का पुरवा				
8				पानी निकासी हेतु पाइप, सीमेन्टेड पाइप, 70 लोहे के चेम्बर,	अनुसूचित जाति व मुसहर बस्ती के बीच	25,00,000	6 माह	15वां वित्त आयोग	
9				600 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण का कार्य	दियरा ग्राम पंचायत के 9 पुरवे के 600 परिवारों में	36,00,000	6 माह	15वां वित्त आयोग	
11				03 सामुदायिक स्नानाघर का निर्माण कार्य	रामजानकी मन्दिर, काली माई का चौरा, बन्धु मिश्र का पुरा	2,10,000	1माह	15वां वित्त आयोग	

12		हैण्डपम्प चौकी निर्माण	59 हैण्डपम्प के प्लेटफार्म निर्माण का कार्य	मिश्र का पुरवा-07, उल्फत का पुरवा-03, तिवारीपुर-20, कोइरिया-08, दियरा दलितबस्ती-05, मुस्लिम बस्ती-01, मुसहर बस्ती-09, पाल बस्ती-4, निषाद बस्ती-02	4.72.000	3 माह	15वां वित्त आयोग
13		चेक डैम का निर्माण	निषाद बस्ती में चैक डैम का निर्माण	-	10,00,000	1 माह	15वां वित्त आयोग

क्र०सं०	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिचय
1	सेक्टर 2- बुनियादी आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	आंगनवाड़ी जीर्णोद्धार	मिश्र का पुरवा आंगनवाड़ी का जीर्णोद्धार खिड़की दरवाजा प्लास्टर पेयजल इत्यादि	मिश्र का पूरा	2,00,000	06 माह	15वां वित्त आयोग
2		सोखा गड्ढा	भू-गर्भ जल प्रबन्धन हेतु 59 सोखा-गड्ढा	मिश्र का पुरवा-07, उल्फत का पुरवा-03, तिवारीपुर-20, कोइरिया-08, दियरा दलितबस्ती-05, मुस्लिम बस्ती-01, मुसहर बस्ती-09, पाल बस्ती-4, निषाद बस्ती-02	20,00,000	03 माह	15वां वित्त आयोग
3		तालाब संरक्षण	3 तालाब के संरक्षण कार्य / सफाई चौहददी चबूतरा	कम्पोजिट विद्यालय के पीछे, गुड़िया तालाब, पाल बस्ती	95,00,000	05 माह अप्रैल से अगस्त	15वां वित्त आयोग / मनरेगा / वन विभाग

4	सड़क का आर0सी0सी0 इण्टरलॉकिंग	वृक्षारोपण आदि का कार्य 850 मीटर मिश्र का पुरवा, 900 मीटर तिवारीपुर, 500 मीटर कोडरिया, बाजार में 2किमी0	मिश्र का पुरवा तिवारीपुर कोडरिया, बाजार	2,56,00,000	08 माह	15वां वित्त आयोग/मनरेगा
5	मेड़बन्दी एवं वृक्षारोपण	3600 छायादार, फलदार वृक्षों का रोपण जाली के साथ पौधों की सुरक्षाका कार्य	कम्पोजिट विद्यालय के पीछे, गुड़िया तालाब, पाल बस्ती	24,00,000	06 माह	15वां वित्त आयोग/मनरेगा/वन विभाग
6	सिचाई प्रणाली एवं कीट बीमारी	लामार्थी कृषकों को टपक सिचाई सिंपकलर सेट की व्यवस्था और कीट बीमारी आदि पर दवा एवं स्प्रे मशीन की व्यवस्था	09 पुरवा	6,00,000	03 माह	कृषि विभाग
7	सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	9 पुरवे में 18 जगह पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था	समी 09 पुरवें में 2-2 सौर ऊर्जा	3,24,000	3 माह बरसात क पहले	15वां वित्त आयोग
8	पशु चिकित्सालय की बाउन्ड्री वाल निर्माण	800मी0 लम्बा 4मी0 ऊँचा	दियरा बाजार	8,00,000	4 माह	15वां वित्त आयोग
9	बारातघर	दियरा बाजार के पीछे	दियरा बाजार	60,00,000	10 माह	15वां वित्त आयोग
10	मण्डी स्थापना	इण्टर कालेज के पास	दियरा	55,00,000	10 माह	15वां वित्त आयोग

क्र०सं०	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
1	सेक्टर 3- आजीविका कृषि पशुपालन	नर्सरी का निर्माण	3 समूह के माध्यम से पाली हाउस नेट हाउस बनाकर नर्सरी तैयार करना	दियरा बाजार के बगल में ग्राम पंचायत की भूमि	3,00,000	6 माह	मनरेगा
2		स्थायी पशुस्थल	व्यक्तिगत स्तर पर 6 से 7 पशु क्षमता वाले 40 पशु आश्रय स्थल का निर्माण	सभी टोले पर	40,00,000	6 माह	15वां वित्त आयोग

नोट-1. ग्राम सभा स्तर पर बारातघर, सारस बाजार हाट, मिनरल वाटर फैक्ट्री की अगर स्थापना होती है तो ग्राम सभा की आय में अत्याधिक बढ़ोत्तरी हो सकती है। क्योंकि ग्राम पंचायत दियरा से लखनऊ-बलिया राजमार्ग मात्र एक किमी० की दूरी पर स्थित है।

2. ग्राम प्रधान के द्वारा निर्माण कार्य गांव में कराया जाता है। योजना की कुल लागत **रु० 7,41,57,000 (सात करोण इकतालिस लाख सतावन हजार मात्र) है।** साथ में कराये गये कार्यों की बिलिंग आदि का कार्य अवर अभियंता के साथ मिलकर करते है। जिसके कारण इन्हें लागत आदि की जानकारी रहती है, अतः इन्ही के द्वारा लागत बतायी गयी है।

## क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागिता प्रक्रिया

### वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत दियरा की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जनों की सहभागिता सुनिश्चित कराये जाने की दृष्टि से ग्राम प्रधान रविन्द्र कुमार के द्वारा दिनांक 14.02.2023 को पूरे ग्राम सभा में आंगनवाड़ी, आशा, वार्ड मेम्बर के सहयोग से ग्रामसभा की खुली बैठक आयोजित करने की सूचना पूरे 09 पूरवे में कहलवाया गया। इसके पूर्व संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव का भ्रमण कर लोगों से जनसम्पर्क भी किया गया।

### खुली बैठक

ग्राम पंचायत दियरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना निरूपण हेतु विभिन्न हितभागियों के साथ ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 15.02.2023 को पंचायत



भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इसी खुली बैठक में ग्राम प्रधान रविन्द्र कुमार वार्ड मेम्बर सदस्य स्वयं सहायता समूह की महिलायें, आंगनवाड़ी, आशा, प्रधानाध्यापक, ग्रामीण किसान महिलायें पुरुष वृद्ध एवं सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित रहे। सेवा प्रदाता में प्रधान, सेक्रेटरी महिमा सिंह लेखपाल बट्टी प्रसाद सिंह व कानूनगो तथा तरुण चेतना एन0जी0ओ0 से मो0 नसीम अन्सारी, सन्तोष कुमार भीष्म प्रताप सिंह व सोनिया गुप्ता उपस्थित रहे। बैठक के उद्देश्य पर एन0जी0ओ0 के सदस्य मो0 नसीम अन्सारी ने प्रकाश डाला और बताया कि जलवायु के परिवर्तन का असर पूरा विश्व झेल रहा है। असमय बरसात, असमय जाड़ा-गर्मी जैसा इसका बुरा प्रभाव हमारे ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों पर पड़ा है। सरकार आपदा के प्रभाव को कम करने की दिशा में सतत प्रयास कर रही है। आज की बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेतु आयोजित की गई है। बैठक इसी आपदा के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य पर कार्य करने / योजना बनाने के लिए आज दियरा ग्राम सभा में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश के 39 जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन के अत्याधिक प्रभाव को झेल रहे हैं। उनमें सुल्तानपुर जिला भी सम्मिलित है। सरकार ने सुल्तानपुर जिले का दियरा ग्राम पंचायत

इस कार्य हेतु चयनित किया गया है। मौसम सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी चाहिये। इस ग्राम पंचायत के निवासी 02 बार बाढ़ की स्थित झेल चुके हैं। जिसमें गोमती नदी से सटा इस ग्राम पंचायत की निषाद बस्ती भी है, जिसमें करीब 25 परिवार निवास करते हैं, जो निम्न है-

क्र०सं०	नम	पिता का नाम
1	शेर बहादुर	अचरजू
2.	विश्वनाथ	अधार
3.	नन्कऊ	हड़कालू
4.	हरिकेश	राजाराम
5.	मुकेश	राजाराम
6.	फूलचन्द्र	हड़कालू
7.	पतिराम	भारत
8.	छोटे लाल	राम दास
9.	गुल्लू	जयराम
10.	म्हूलाल	रामदास
11.	ललजी	लालता
12.	गनेश	लालता
13.	पप्पू	राम सरन
14.	लालमणि	गिरधारी
15.	तीरथ	धर्मराज
16.	पियारे	सोनाही
17.	जगदीश	बाबू लाल
18.	राम प्रकाश	पियारे
19.	पियारे	अर्जुन
20.	जगदीश	प्रदीप
21.	अशोक	हीरालाल
22.	राजेश	लालता
23.	ळीरालाल	अखिलेश
24.	ळीरालाल	शेष कुमार
25.	पियारे	दशरथ

ये परिवार बाढ़ की समस्याओं का ज्यादा सामना करते हैं, जिससे पलायन की भी समस्या आती है। अन्य जगह भी जल भराव की समस्या होती है। क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु काम आयेगी।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण-

<p><b>प्रशासनिक समिति-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रवीन्द्र कुमार-अध्यक्ष</li> <li>2. चन्द्र प्रभा सदस्य</li> <li>3. सुनीता, सदस्य</li> <li>4. योगेन्द्र, सदस्य</li> <li>5. जय चन्द्र, सदस्य</li> <li>6. राजेन्द्र, सदस्य</li> <li>7. प्रियंका, सदस्य</li> </ol>	<p><b>नियोजन एवं विकास समिति-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रवीन्द्र कुमार-अध्यक्ष</li> <li>2. शर्मिला, सदस्य</li> <li>3. योगेन्द्र, सदस्य</li> <li>4. सुनीता, सदस्य</li> <li>5. जय चन्द्र, सदस्य</li> <li>6. चन्द्र प्रभा, सदस्य</li> <li>7. राजेन्द्र, सदस्य</li> </ol>	<p><b>स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. योगेन्द्र प्रसाद-अध्यक्ष</li> <li>2. चन्द्र प्रभा, सदस्य</li> <li>3. जय चन्द्र, सदस्य</li> <li>4. राजेन्द्र कुमार, सदस्य</li> <li>5. नीशा, सदस्य</li> <li>6. प्रदुमन, सदस्य</li> <li>7. सुनीता, सदस्य</li> <li>8. रवीन्द्र, सदस्य</li> </ol>
<p><b>पेयजल, स्वच्छता एवं जल प्रबंधन समिति-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आशीष कुमार-अध्यक्ष</li> <li>2. पवन कुमार, सदस्य</li> <li>3. नीशा, सदस्य</li> <li>4. सुनीता, सदस्य</li> <li>5. राजेन्द्र, सदस्य</li> <li>6. शर्मिला, सदस्य</li> <li>7. प्रदुमन, सदस्य</li> </ol>	<p><b>नियोजन एवं विकास समिति-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आशीष कुमार यादव-अध्यक्ष</li> <li>2. जय चन्द्र, सदस्य</li> <li>3. सुनीता, सदस्य</li> <li>4. शर्मिला, सदस्य</li> <li>5. योगेन्द्र, सदस्य</li> <li>6. राजेन्द्र, सदस्य</li> <li>7. नीशा, सदस्य</li> </ol>	<p><b>शिक्षा समिति-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रवीन्द्र कुमार-अध्यक्ष</li> <li>2. निशा, सदस्य</li> <li>3. पवन कुमार, सदस्य</li> <li>4. प्रियंका, सदस्य</li> <li>5. पदुम कुमार, सदस्य</li> <li>6. आशीष कुमार, सदस्य</li> <li>7. सुनीता, सदस्य</li> </ol>

वार्ड संख्या	पंचायत सदस्य का नाम
1	रवीन्द्र कुमार
2	चन्द्र प्रभा
3	सुनीता
4	योगेन्द्र
5	जय चन्द्र
6	राजेन्द्र
7	प्रियंका
8	प्रदुमन
9	नीशा
10	पवन
11	आशीष
12	पदुम कुमार
13	शर्मिला
14	रीना
15	ऊषा



### ट्रान्जेक्ट वाक/गृह भ्रमण-

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायु गत आपदा जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान , वार्ड सदस्य व अन्य समुदाय के सदस्यों के साथ दियरा ग्राम पंचायत की दलितबस्ती, मुसहर बस्ती व पूर्वी बाजार का ट्रान्जेक्ट वाक किया गया, जिसमें ट्रान्जेक्ट वाक बड़ी मन्दिर से शुरू होकर एस0सी0बस्ती से निकलते हुए मुसहर बस्ती से होते हुए बाजार से होकर दक्षिण की तरफ पशु चिकित्सालय से होकर पंचायत भवन तक जाया गया।

### ट्रान्जेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गई स्थितियां-

<b>भौतिक संसाधन</b>	गांव की शुरूआत में बाजार के निकट चौराहे पर उत्तर पूरब पश्चिम चारों तरफ छोटी-बड़ी मिलाकर 500 दुकानें रोड पर स्थित थी। दुकान के बजह से रास्ता सकरा दिखाई दे रहा था। इसके आगे दक्षिण की ओर चलने पर 100 मीटर की दूरी पर पूरब की तरफ सामने प्राथमिक विद्यालय दियरा उसके बगल अन्दर पंचायत भवन स्थित है। 1. पंचायत भवन के सामने एक हैण्डपम्प लगा है और सामने गन्दे पानी का जमाव और पंचायत भवन के सामने गन्दगी दिखायी पड़ी। 2. विद्यालय से पश्चिम सामने पशु चिकित्सालय दिखा जो मरम्मत की आवश्यकता है और साथ ही बाउन्ड्री वाल की आवश्यकता है।
<b>हरित क्षेत्र</b>	ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्र पूरब की तरफ उल्फत का पुरवा, मिश्र का पुरवा में दिखाई पड़ा। हर जगह छोटे बड़े बाग दिखाई पड़े।
<b>ताल तलैया</b>	पशु अस्पताल के पीछे दियरा में 3 बीघे का गुड़िया तालाब दिखा, जहां जानकारी मिली कि गांव के लोग गुड़िया का त्योहार यहीं मनाते है। इस तालाब के सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता है। ठीक इसके सामने की जमीन ग्राम सभा की है, जिसका उपयोग मण्डी समिति बना कर किया जा सकता है।
<b>नाला</b>	दियरा के दलितबस्ती और मुसहर बस्ती में आगे चलने पर नाला और बसाहट दिखाई पड़ा जहां जानकारी मिली कि पूरे बाजार का पानी इसी नाले से बहकर जाने से जल भराव हो जाता है। नाले की सफाई व साइफन की जरूरत है। और जानकारी मिली कि दियरा ग्राम पंचायत की तीनों दिशाओं में नाला बहता है केवल पश्चिम दिशा में ही समतल जमीन है, बाकी अन्य दिशाओं में टीला व ऊबड़-खाबड़ जमीने है।
<b>बसहट</b>	दलितबस्ती से आगे चलकर मुसहर बस्ती से आगे जंगल व बसहट है।

### सामाजिक मानचित्रण-

सभी मजदूरों के भ्रमण के उपरान्त गोमती नदी के तीर ग्राम पंचायत दियरा के मन्दिर पर करीब 150 ग्रामवासियों की उपस्थिति में मानचित्रण तैयार किया गया। जिसके आधार पर प्राप्त सूचनायें निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं—

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहद्दी का क्षेत्रफल	530.138 हे०	9 पुरवों को मिलाकर बाग-बगीचे, खेती का स्थान मिलाकर
कुल टोले की संख्या	9	तिवारीपुर, कोड़रिया, दियरा दलितबस्ती, मुस्लिम बस्ती, मुसहर बस्ती, पाल बस्ती, निषाद बस्ती, उल्फत का पुरवा, मिश्र का पुरवा
कुल घरों की संख्या	1920	9 पुरवा में
कुल पक्के घरों की संख्या	1729	प्रत्येक टोले पर अधिकांश पक्के छत वाले मकान हैं।
कुल कच्चे घरों की संख्या	191	खपरैल कच्चे घर
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	164	तिवारीपुर, कोड़रिया, दियरा दलितबस्ती, मुस्लिम बस्ती, मुसहर बस्ती, पाल बस्ती, निषाद बस्ती, उल्फत का पुरवा, मिश्र का पुरवा
विकलांग जनों की संख्या	21	9 पुरवा में
महिला मुखिया परिवार की संख्या	79	9 पुरवा में
कुआं	33	9 पुरवा में
तालाब		


#### जातिगत / श्रेणीगत विवरण—


सामान्य जाति के घर की संख्या	580
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	515
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	825
ग्राम पंचायत में कुल घरों की संख्या	1920

ग्राम पंचायत दियरा लम्बुआ बाजार से करीब 12 किमी० उत्तर की दिशा में स्थित है ग्राम पंचायत दियरा में एक किमी० से कम की दूरी पर उत्तर-पूर्व दिशा में गोमती नदी निकलती है। इस ग्राम पंचायत में 09 पुरवे हैं। जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, मल्लाह, मुसहरा, धोबी, चमार, ब्राम्हण, बनिया, कायस्थ, क्षत्रिय, कुर्मी, चौरसिया, कहार, चमार, आदि जातिया निवास करती हैं। जिसमें आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या रजिस्टर्ड 164 है। जिसके अतिरिक्त करीब 51 परिवार और हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो अन्त्योदय कार्ड के पात्र हैं। दियरा ग्राम पंचायत में मुसहर जाति के लोग और मल्लाह जाति के लोग अधिक हैं जो रस्सी बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहां पर 21 दिव्यांगजन हैं। ग्राम पंचायत की साक्षरता दर 75 प्रतिशत है। विधवा महिलाओं की संख्या 79 है।

#### आजीविका के संसाधन

## व्यक्ति की संख्या





**आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा चक्र व घटनाक्रम**

ग्राम पंचायत दियरा का ऐतिहासिक समय रेखा, आपदाओं एवं उसके प्रभावों को जानने समझने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि आपदायें इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित की है। इसी क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया। जिसमें समुदाय ने माना कि जलजमाव एक ऐसी आपदा रूपी समस्या है, जो लगातार स्थानीय लोगों को प्रभावित कर रही है।

हाल ही के वर्षों में सूखा, लू एवं शीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ा है, साथ ही असमय वर्षा की मार और हाल के वर्षों में सूखा, शीतलहर व लू का प्रकोप भी ग्राम पंचायत के लोगों को झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ विगत 2 वर्षों से कोरोना नामक बीमारी नई आपदा के रूप में उभर के आयी। लॉकडाउन में सब कुछ बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर शहरों से गांव की तरफ लोगों का पलायन हुआ और ग्रामवासियों की लाइफलाइन आजीविका भी प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों से प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् दर्ज किया गया-

क्र० सं०	वर्ष	आपदा/ खतरा	घटनाओं का करण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1	1980	बाढ़	अधिक वर्षा	3	सम्पूर्ण ग्राम	35 से 40 एकड़	कोई कार्य कार्य नहीं
2	1990	हैजा	गन्दगी एवं तेज हवा	-	सम्पूर्ण ग्राम	भरण-पोषण की समस्या	साफ-सफाई का कार्य एवं जागरूकता
2	2018	बाढ़	अधिक वर्षा	-	निषाद बस्ती	8 से 10 एकड़	कोई कार्य नहीं
3	2019	टोला वृष्टि	धूप न निकलने व अधिक ठंड पड़ने के कारण	-	पूरा गाँव	फसल व आम का नुकसान	सरकार द्वारा सहायता
4	2020 से 2021	कोरोना महामारी	महानगरों से लौटे लोग के द्वारा वायरस का फैलना	2	180	रोजगार बाधित एवं आर्थिक क्षति	टीकाकरण व राशन वितरण, कराया गया
6	2022	सूखा	वर्षा का कम होना	-	पूरा गांव	350 हे०	धान की फसल में अतिरिक्त सिंचाई सूखा पर सरकारी अनुदान

**आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव**

क्र०सं०	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है?
				अधिक	मध्यम	कम	
1	कृषि	700	जल जमाव / बाढ़		Yellow		<ol style="list-style-type: none"> <li>300हे की फसल नष्ट हो गई थी।</li> <li>एक टोले से दूसरे टोले तक आवागन बाधित</li> <li>धान की नर्सरी पूरी तरह प्रभावित</li> </ol>
			सूखा	Red			<ol style="list-style-type: none"> <li>सिचाई में खर्च अधिक लगा।</li> <li>फसल के उत्पादन में कमी</li> </ol>
			शीतलहर			Green	<ol style="list-style-type: none"> <li>फसलें झुलस जाती है।</li> <li>आलू में पाला की समस्या।</li> </ol>

2	मजदूरी	385	जल जमाव / बाढ़		Yellow		<ol style="list-style-type: none"> <li>1ण आवागमन बाधित होना। रोजगार बाधित</li> <li>2ण मनरेगा का कार्य न होने से स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिल पाना।</li> </ol>
			सूखा	Red			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।</li> <li>2. आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है।</li> <li>3. खान-पान पर प्रभाव पड़ता है।</li> </ol>
						Green	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्वास्थ्य खराब रहता है।</li> </ol>

			शीतलहर				2. खर्चों में वृद्धि हो जाती है।
3	पशुपालन/ मुर्गी पालन	75	जल जमाव/बाढ़				<p>चारे की गुणवत्ता खराब हो जाती है।</p> <p>2. फसल डूब जाने से सूखा चारा नहीं मिल पाता है।</p> <p>3. चारागाह जल जमाव से खराब हो जाते हैं।</p>
			सूखा				<p>1. पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।</p> <p>2. हरा चारा नहीं मिल पाता।</p> <p>3. चूजे मर जाते हैं।</p>
			शीतलहर				<p>1. चारे की समस्या हो जाती है।</p> <p>2. बकरियों में पोकने की बीमारी होती है।</p> <p>3. चूजों की मृत्यु अधिक होती है।</p>
4.	स्वयं का व्यवसाय	561	बाढ़/जल जमाव				<p>1. सामान आदि के लाने में असुविधा।</p> <p>2. सामान महंगा हो जाता है।</p> <p>3. कच्चा माल जल्दी खराब हो जाता है।</p>
			सूखा				<p>1. धन्धा मन्दा हो जाना।</p> <p>2. आय से अधिक व्यय हो जाता है।</p>

			शीतलहर			3. व्यवसाय का मन्दा पड़ जाना।
--	--	--	--------	--	--	-------------------------------

**ग्राम सभा दियरा कैमरे की नजर में**



आत्म निर्भर महिला



अशुद्ध पेयजल







(दियरा ग्राम पंचायत का भ्रमण व अवलोकन)

(दियरा ग्राम पंचायत में जलजमाव की स्थिति)



# अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
<b>हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना</b>				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p><b>चरण 1:</b> वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p><b>चरण 2:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)<sup>104</sup> = <b>₹70 प्रति पेड़</b> (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)<sup>105</sup></p> <p>= <b>₹1,200 प्रति इकाई</b></p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: <b>₹1.5 लाख/हेक्टेयर</b></p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO<sub>2</sub>e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> <li>300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> <li>लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> </ul>		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ <b>चरण 1</b> से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत<sup>106</sup> = <b>₹40,000/हेक्टेयर<sup>107</sup></b></p>	

104 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

105 लागत बाजार भाव के अनुसार

106 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

107 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p><b>चरण 2:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p><b>चरण 3:</b> मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</li> <li>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</li> </ul>	1 मी. मेड़बंदी के लिए <sup>108</sup> = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> 5-10 तालाब</p> <p><b>चरण 2:</b> 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m<sup>3</sup></p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण <sup>109</sup> = ₹90,000	

108 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

109 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): <b>₹60,000</b></p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): <b>₹33,000</b></p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--&gt; प्रति एकड़ लागत = <b>₹2,500</b></p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---&gt; प्रति एकड़ लागत = <b>₹2,500</b></p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = <b>₹1,00,000</b></p> <p>कुल लागत<sup>110</sup>: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e-&gt;2.471 * 1,00,000 = <b>₹2,47,100</b></p>	

110 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी ( UPSOCA\_Tariff\_20March.pdf (apeda.gov.in) ) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p><b>चरण 3:</b> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m<sup>3</sup> क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत<sup>111</sup> = <b>₹35,000</b></p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = <b>₹35,000<sup>112</sup></b></p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p><b>चरण 1:</b> जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p><b>चरण 2:</b> जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p><b>चरण 3:</b> जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत<sup>113</sup>: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = <b>₹7 लाख</b></p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m<sup>3</sup> क्षमता) का निर्माण = : <b>₹7 लाख</b></p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = <b>₹1,200 प्रति यूनिट</b></p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = <b>₹3,75,000</b></p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = <b>₹50,000</b></p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = <b>₹20 प्रति यूनिट</b></p>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b> मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p><b>चरण 2 और 3:</b> चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

111 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

112 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

113 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत और उन्नत गतिशीलता

1	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~ <b>₹3,00,000</b> उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
2	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	<b>चरण 1:</b> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना <b>चरण 2 &amp; 3:</b> निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = <b>₹6,00,000</b> 1 कर्माशियल ई-वाहन की कीमत = <b>₹5 लाख से 10 लाख</b>	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या<sup>114</sup> =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p><b>चरण 2:</b></p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना</p>	

114 लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 3:</b> a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत <sup>115</sup> : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा बैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर <sup>116</sup> = ₹15,000	
2	बेहतर स्वच्छता प्रबंधन	<b>चरण 1:</b> a. सामुदायिक शौचालय का निर्माण b. विकलांग समुदाय के लिए शौचालयों का निर्माण  <b>चरण 2 और 3:</b> शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	3 सामुदायिक शौचालयों की लागत = ₹2,10,000 विकलांग समुदाय के लिए 21 शौचालयों का निर्माण = ₹6,20,000	
3	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<b>चरण 1:</b> a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न <sup>117</sup> की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	

115 लागत बाज़ार भाव के अनुसार

116 एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

117 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20>



क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण II और III:</p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत<sup>118</sup>:</p> <p>1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000</p> <p>2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ<sup>119</sup>: ₹35,00,000</p>	
4	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध</p> <p>b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम</p> <p>c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना</p> <p>d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल</p>	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		<p><b>चरण 2:</b></p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 200 महिलाएं	

118 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

119 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p><b>चरण 3:</b></p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	
4	स्वच्छता अवसंरचना को बढ़ाना	<p><b>चरण I:</b> घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना</p> <p><b>चरण II और III:</b> शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p>	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत <sup>120</sup> = ₹15,000 से ₹20,000	

120 [https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/SBM\\_Guideline.pdf](https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/SBM_Guideline.pdf)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सौर छतें	<p><b>चरण 1:</b> सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 kWh</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000<sup>121</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)*</p> <p>0.82/ 1000 = _____ टन CO<sub>2</sub></p>
----------	---	---	---

121 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p><b>चरण 2 और 3:</b> परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p><b>चरण 2:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p><b>चरण 3:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत<sup>#</sup> = ₹50,000<sup>122</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2 <sup>123</sup>	कृषि- फोटोवोल्टिक	<p><b>चरण 2:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p><b>चरण 3:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत<sup>124</sup> = ₹1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

122 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

123 [https://solarrooftop.gov.in/rooftop\\_calculator](https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator)

124 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	<p><b>चरण 1:</b> 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p> <p>प्रति पंप लागत<sup>25</sup> = ₹3 से 5 लाख</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO<sub>2</sub>e)</p>
4	स्वच्छ खाना पकाना	<p><b>चरण 1:</b> 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = <b>₹50,000</b></p> <p>2 से 3 m<sup>3</sup> बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = <b>₹45,000</b></p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = <b>₹3,000</b><sup>26</sup></p>	

125 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

126 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = <b>₹70</b></p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = <b>₹220</b></p> <p>1 ईई पंखे की लागत = <b>₹1,110<sup>127</sup></b></p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = <b>₹50,000</b></p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = <b>₹10,000<sup>128</sup></b></p>	

## आजीविका और हृदित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	<p>क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित</p> <p>लागत<sup>129</sup>: <b>₹8-15 लाख प्रति यूनिट</b></p>	
---	---	--------------------------	---	--

127 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

128 बाजार दर के अनुसार लागत

129 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

# अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

## एसडीजी 2: जीरो हंगर



**लक्ष्य 2.3:** भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

**लक्ष्य 2.4:** वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

**लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.:** सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

## एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



**लक्ष्य 3.3:** एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

**लक्ष्य 3.9:** खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

## एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



**लक्ष्य 6.1:** पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

**लक्ष्य 6.3:** वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

**लक्ष्य 6.4:** सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

**लक्ष्य 6.5:** सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

**लक्ष्य 6.8:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 6.a :** अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

## एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



**लक्ष्य 7.1:** किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


**लक्ष्य 7.2:** ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

**लक्ष्य 7.3:** ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

**लक्ष्य 7.a :** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

**लक्ष्य 7.b:** विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

## एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



**लक्ष्य 8.3:** विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

## एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



**लक्ष्य 9.1:** गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

## एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



**लक्ष्य 11.2:** सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

**लक्ष्य 11.4:** विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 11.7:** वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।



## एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



**लक्ष्य 12.2:** प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

**लक्ष्य 12.4:** वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.8:** वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

## एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



**लक्ष्य 13.1:** सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

**लक्ष्य 13.2:** जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

**लक्ष्य 13.3:** जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

## एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



**लक्ष्य 15.1:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

**लक्ष्य 15.2:** वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

**लक्ष्य 15.3:** वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

**लक्ष्य 15.9:** वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

## अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>इमारती लकड़ी के पेड़</b>			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
<b>फल और जंगली खाद्य पौधे</b>			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

### औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंड्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़</b>			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
<b>अन्य पेड़</b>			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

# नोट्स





